केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय

संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित

(पूर्व में राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान, मानित विश्वविद्यालय, शिक्षा मन्त्रालय, भारत सरकार के अधीन)

परिचायिका

Prospectus

2025-26

56-57, इन्स्टीट्यूशनल एरिया, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058

हेल्पलाइन टोल मुक्त संख्या 18005724642

सामान्य जांच (E-PABX) : 011-28524993, 011-28524995, 011-28520977, 011-28525963, 011-28521994

शान्तिपाठः

ॐद्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः
शान्तिः
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवाः शान्तिर्ब्रह्मशान्तिः सर्वं शान्तिः।
शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि।।
यतो यतः समीहसे ततो नो अभयङ्कुरु।
शन्नः कुरु प्रजाभ्योऽभयन्नः पशुभ्यः।।
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्दुःखभाग्भवेत्।।
सह नाववतु सह नौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै।
तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।।
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।

Accreditations NAAC^{A++}

S.No.	Title	Page No.
1.	अनुशंसा/Recommendation	
2.	केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के बारे में/About Central Sanskrit University	**3-4**
3.	विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु आरक्षण नीति/Reservation Policy for Admission in the University	**14-19**
4.	छात्रवृत्ति/Scholarship	**20-21**
5.	छात्रावास/Hostel	**22**
6.	प्रवेश शुल्क वापसी नीति/Admission Fee Refund Policy	**23**
7.	प्रवेश के सामान्य नियम/General rules of Admission	
8.	उपस्थित एवं अवकाश नियम/(70% Attendance) Present and Absent Rule	**24**
9.	अनुशासन/Discipline	**25**
10.	एंटी रैगिंग/Anti-Ragging	**26-29**
11.	शुल्क संरचना (यू.जी., पी.जी. एवं विदेशी)/Fee Structure (UG, PG and Foreign)	**30-41**
12.	अधिष्ठाता एवं विभागाध्यक्ष की सूची/Dean and HOD List	**42**
13.	विश्वविद्यालय के परिसरों का परिचय/Introduction of University Campuses • गंगानाथ झा परिसर, प्रयागराज/Ganganth Jha Campus • श्री सदाशिव परिसर, पुरी/Sadashiv Campus • श्री रणवीर परिसर, जम्मू/Shri Ranbir Campus • राजीव गाँधी परिसर, श्रृंगेरी/Rajiv Gandhi Campus • जयपुर परिसर, जयपुर/Jaipur Campus • गुरूवायुर परिसर, त्रिशूर/Guruvayoor Campus • लखनऊ परिसर, लखनऊ/Lucknow Campus • वेदव्यास परिसर, बलाहर/Vedvyas Campus • भोपाल परिसर, भोपाल/Bhopal Campus • नासिक परिसर, नासिक/Nasik Campus • एकलव्य परिसर, अगरतला/Eklavya Campus • रघुनाथ कीर्ति परिसर, देवप्रयाग/Raghunath Kirti Campus	

अनुशंसा

'योऽनूचानः स नो महान्' इति ध्येय वाक्यं स्मारं स्मारम् अयं विश्वविद्यालय: संस्कृतेन संस्कृतस्य संस्कृताय जगद्धिताय च अध्ययनानुसन्धानादिकर्तुं कारयितुं च सर्वथा प्रवृत्त: इति दृढो मे प्रत्यय:। अयं हि विश्वविद्यालय: संस्कृतस्य संरक्षणाय सम्पोषणाय संवर्धनाय प्रचाराय प्रसाराय कटिबद्ध: सन्तत्सम्बद्धशास्त्राणां नैकेषां विषयाणामपि अध्ययनानुसन्धानादिप्रचारप्रसारद्वारा अतिजवेन व्रजन्दृश्यते। ज्ञानविज्ञानप्रौद्योगिक्या सह वेदवेदाङ्गादिभि: सार्धमन्यानिशास्त्राणि भारतीयदर्शनानि च सम्पूर्णे जगति विलसन्तु तत्प्रभावाच्च सर्वतोमुखिप्रतिभासम्पन्नभारतीयज्ञानपरम्परासमृद्धाधुनिकज्ञान-विज्ञानप्रौद्योगिकिदक्षबहुभाषाविद्-सच्चिन्तनशील-नैतिक मूल्य युक्त-गतिशील-राष्ट्रभक्त-नागरिकाणां निर्माणं भवतु इति ध्येयेन सह केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालय: नवदेहलीस्थ: भारतसर्वकारस्य माननीयप्रधानमन्त्रिण: नेतृत्वे माननीयशिक्षामन्त्रिण: कुलाधिपतेश्च मार्गदर्शने च अहर्निशं प्रगतिपथम् अधिरोहति।

संस्कृतशिक्षायां युगानुकूलता समायोजनीया। शिक्षा तावत्यथा ज्ञानदायिनीसंस्काराधायिका तथाभुक्तिकरी अपि भवेत्। अद्यतनानां जीविकामार्गाणां वृत्तिपराणां तत्र समावेश: सुतरामपेक्षित:। संस्कृतमूलानां भारतविद्याशास्त्राणां जीवनोपयोगिनां सन्तुलन-संयोजनेन संस्कृतशिक्षा लोकोपकारिणी लोकमान्या अत एव सर्वजनोपादेया भवति। एतस्यां दिशि राष्ट्रियशिक्षानीते: अनुष्ठानं नितराम् उपकरोति। तदर्थमयं प्रथम: पदनिक्षेप: विद्यते।

ध्येयस्य लक्ष्यस्य च परिपूर्त्यर्थं भारतसर्वकारस्य राष्ट्रियशिक्षानीते: (2020) अनुपालनं कुर्वन् विश्वविद्यालयोऽयं शैक्षिकसत्र 2022-23 त: मुख्यरूपेण अधोलिखित-कार्ययोजनाया: अनुष्ठानं चिकीर्षति-

==> चतुर्वर्षीयस्नातकप्रतिष्ठापाठ्यक्रम: (चतुर्थवर्षं पूर्णत: शोधकार्यस्य कृते समर्पितम्)
==> एकवर्षीयस्नातकोत्तरपाठ्यक्रम: (चतुर्वर्षीयस्नातकप्रतिष्ठापाठ्यक्रमोत्तीर्णच्छात्राणां कृते)
==> पञ्चवर्षीयसंसृष्टस्नातकस्नातकोत्तरपाठ्यक्रम:
==> द्विवर्षीयस्नातकोत्तरपाठ्यक्रमस्य द्वितीयवर्षं पूर्णत: शोधकार्यस्य कृते समर्पितम्।
==> त्रिवर्षीयस्नातकपाठ्यक्रमोत्तीर्णच्छात्राणां कृते-

* एकैकस्य वर्षस्य अध्ययनानन्तरं प्रमाणपत्रप्रदानम्
* बहुविकल्पक-प्रवेशनिर्गमनम् (Multiple entry and exit option)
* चयनाधारित-विषयग्रहणविकल्प: (CBCS)
* मूलविषयेण सह यथेष्टविषयग्रहण-विकल्प:
* अन्त:सम्बद्धविषय ग्रहणम् (Interdisciplinary)
* बहुविषयग्रहणम् (Multidisciplinary)

* शैक्षणिकश्रेयाङ्ककोषः (ABC)
* दक्षता-संवर्धनपाठ्यांशा: (Ability enhancement)
* कौशलसंवर्धनम् (Skill enhancement)
* नैतिकमूल्याधारितपाठ्यांशा: (Value based/Content)
* पाठ्येतर-गतिविधय: (ECA)
* पारदर्शि-आकलनमूल्याङ्कनप्रक्रिया

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्दुःखभाग्भवेत्॥

इति मन्त्रं स्वीकृत्य ***उद्योगिनं पुरुषसिंहमुपैतिलक्ष्मीः दैवेन देयमिति कापुरुषा वदन्ति*** इति सिद्धान्तम् अनुपालयन्त: विश्वविद्यालयस्य आचार्या:, अधिकारिण:, कर्मचारिण:, गवेषका: अन्तेवासिनश्च स्वातन्त्र्यम् अनुभवन्त: सुखेन स्वस्वकर्मणिनिरता: भवेयु:। प्राचीनकाले यथाभारतवर्षं विश्वगुरु: आसीत्तथैव अद्यापि भारतीयज्ञानपरम्पराया: आधुनिकप्रौद्योगिकिमाध्यमेन प्रचारं-प्रसारं च कृत्वा भारतवर्षं विश्वगुरु: भवेत्।

प्रो. श्रीनिवासः वरखेडी

कुलपति:

केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालय:, नवदेहली

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के बारे में

राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान की स्थापना 15 अक्टूबर 1970 को पूरे देश में संस्कृत के समग्र विकास और प्रचार-प्रसार के लिए सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 (अधिनियम XXI, 1860) के अंतर्गत पंजीकृत एक स्वायत्त संगठन के रूप में की गई थी। अपनी स्थापना के बाद से ही यह भारत सरकार द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित है। यह संस्कृत के प्रचार-प्रसार और विकास के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में कार्य कर रहा है तथा संस्कृत ज्ञान के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं के विकास और कार्यान्वयन में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की सहायता करता रहा है। इसने संस्कृत भाषा और शिक्षा के सभी पहलुओं के संरक्षण, प्रचार और विकास के लिए 1956 में भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्थापित 'संस्कृत आयोग' की विभिन्न सिफारिशों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक केन्द्रीय एजेंसी के रूप में भूमिका निभा रहा है।

मान्यता देते हुए भारत सरकार द्वारा इसे 7 मई, 2002 से एक मानद विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया था। यह दर्जा अधिसूचना संख्या एफ 9-28/2000 यू 3 के तहत दिया गया तथा इसके बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अधिसूचना संख्या एफ 6-31/2001 (सीपीपी-1), दिनांक 13 जून 2002 को जारी की गई।

पिछले दशकों में CSU ने संस्कृत शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाई है। जिसके परिणामस्वरूप भारत सरकार ने भारत के राजपत्र (विधि एवं न्याय मंत्रालय) संख्या CG-DL-E-25032020-218916 दिनांक 25 मार्च 2020 तथा राजपत्र संख्या CG-DL-E-17042020-219068 (मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय) के माध्यम से राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान को केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के रूप में अनुमोदित किया है। जिसके अनुसार दिनांक 30 अप्रैल 2020 से राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हो गया है। विश्वविद्यालय को नैक द्वारा A++ ग्रेड प्रदान की गई है।

विश्वविद्यालय के मूल उद्देश्य:

संस्कृत भाषा के प्रचार-प्रसार के लिए शिक्षण, अनुसंधान एवं विस्तार सुविधाएँ प्रदान करना तथा ज्ञान की अन्य शाखाओं का विस्तार एवं सम्वर्धन करना, अपने शैक्षिक कार्यक्रमों में मानविकी, सामाजिक विज्ञान एवं विज्ञान में एकीकृत पाठ्यक्रमों के लिए विशेष प्रावधान करना. शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया तथा अंतःविषयक अध्ययन एवं अनुसन्धान में नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए समुचित उपाय करना. संस्कृत एवं संस्कृत पारम्परिक विषयों के क्षेत्र में समग्र विकास, सम्वर्धन, संरक्षण एवं अनुसंधान के लिए नई पीढ़ी को शिक्षित एवं प्रशिक्षित करना।

संस्कृत के विकास हेतु दस वर्षीय भावी योजना
अष्टादशी-विजन और मिशन के अंतर्गत परियोजनाएँ

- संज्ञानात्मक साहित्य अनुवाद परियोजना
- डिजिटल और ऑन-लाइन परियोजना
- समकालीन साहित्य परियोजना
- प्रौद्योगिकी अनुकूलन परियोजना
- द्विवार्षिक संस्कृत पुस्तक मेला परियोजना
- शब्दशाला परियोजना
- आवासीय प्रशिक्षण परियोजना
- इंटरनेट परियोजना समर्थन
- संस्कृत के माध्यम से योग परियोजना
- पांडुलिपियों का संपादन और प्रकाशन
- ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम परियोजना
- सांयकालीन की स्कूल परियोजना
- कम्प्यूटर शिक्षा परियोजना
- सार्वजनिक पहुँच परियोजना
- दुर्लभ पुस्तकों का पुनः प्रकाशन परियोजना
- संस्कृत-आधुनिक विषय समेकन परियोजना
- बाल साहित्य परियोजना
- संस्कृत के माध्यम से आयुर्वेद

कार्यक्रम एवं गतिविधियाँ:

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विद्याशाखा कार्यक्रमों एवं गतिविधियों में संलग्न है। जिनका विवरण इस प्रकार है:

- विभिन्न राज्यों में परिसरों की स्थापना।
- माध्यमिक, स्नातक, स्नातकोत्तर और स्नातकोत्तर स्तर पर पारम्परिक पद्धति से संस्कृत पढ़ाना तथा विद्यावारिधि (Ph.D) स्तर पर अनुसन्धान करना।
- स्नातक स्तर पर शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसे – ITEP, शिक्षाशास्त्री (B.Ed.) का संचालन करना।
- संस्कृत के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसन्धान कार्य का संचालन एवं समन्वय करना।
- साझा हित की संयुक्त परियोजनाओं को प्रायोजित करने में अन्य संगठनों के साथ सहयोग।
- संस्कृत पुस्तकालयों, पाण्डुलिपि संग्रहालयों की स्थापना तथा दुर्लभ पाण्डुलिपियों एवं महत्वपूर्ण ग्रन्थों का सम्पादन एवं प्रकाशन।
- अनुमोदित निर्धारित पाठ्यक्रम/अनुसन्धान को संतोषजनक ढंग से पूरा करके निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले व्यक्तियों को डिग्री और डिप्लोमा/प्रमाणपत्र प्रदान करना।
- विजिटरशिप्, फेलोशिप्, छात्रवृत्ति और पुरस्कार प्रदान करना।
- दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम संचालित करना।
- संस्कृत के प्रचार-प्रसार के लिए शिक्षा मंत्रालय की योजनाओं का क्रियान्वयन करना।

शिक्षण

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के अपने तेरह परिसरों में प्राक्शास्त्री (XI^{th}) से लेकर आचार्य (M.A.) स्तर तक विश्वविद्यालय द्वारा तैयार पाठ्यक्रम के आधार पर शिक्षण कराया जाता है तथा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्थाओं में प्रथमा से लेकर आचार्य तक की शिक्षा की व्यवस्था है। स्वैच्छिक संगठनों द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध संस्कृत संस्थाएँ भी समान पाठ्यक्रम से शिक्षण प्रदान करती हैं।

शिक्षक प्रशिक्षण

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के परिसरों में शिक्षण अभ्यास पर जोर देते हुए एक शैक्षणिक वर्ष के लिए शिक्षक-प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप बी.एड. के समकक्ष शिक्षा शास्त्री की उपाधि प्रदान की जाती है। जयपुर, भोपाल व त्रिशूर में ITEP पाठ्यक्रम संचालित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, पुरी, जयपुर और भोपाल परिसरों में शिक्षाचार्य के समकक्ष (M.Ed) की उपाधि प्रदान की जाती है।

अनुसंधान

केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के सभी परिसरों में शोध के लिए छात्रों का पंजीकरण किया जाता है और शोधछात्रों द्वारा शोध प्रबन्ध जमा कर वाक्-परीक्षा उत्तीर्ण करने पर उन्हें विद्यावारिधि (Ph.D) की उपाधि प्रदान की जाती है। हालांकि गंगानाथ झा परिसर, प्रयागराज विशेष रूप से संस्कृत की चुनिंदा शाखाओं में शोध गतिविधियों के लिए समर्पित है। परिसर का पुस्तकालय देश के सर्वोच्च रैंक वाले पुस्तकालयों में से एक है। प्रयागराज परिसर पुस्तकालय में 57,957 से अधिक दुर्लभ पांडुलिपियाँ संरक्षित हैं।

- **प्रकाशन**
- **शोध पत्रिकाएँ और पुस्तकें**

- केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के परिसरों में विभिन्न शोध पत्रिकाएँ प्रकाशित होती हैं। इसके अलावा परिसरों से वार्षिक साहित्यिक पत्रिकाएँ भी प्रकाशित होती हैं।
- केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय और उसके परिसरों द्वारा विद्वत्तापूर्ण प्रकाशन, मौलिक ग्रन्थ और दुर्लभ पांडुलिपियाँ प्रकाशित की गई हैं। प्रकाशन एवं पुनर्मुद्रण योजना के अन्तर्गत अब तक कुल 611 दुर्लभ एवं अनुपलब्ध पुस्तकें प्रकाशित की जा चुकी हैं।
- त्रैमासिक समाचार बुलेटिन 'संस्कृत वार्ता' भी नियमित रूप से प्रकाशित की जा रही है।

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का मुख्यालय और परिसर

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की गतिविधियाँ इसके मुख्यालय के अन्तर्गत विभिन्न विभागों, अनुभागों और इकाइयों द्वारा संचालित की जाती हैं जो इस प्रकार हैं: -

1- वित्त अनुभाग
2- अनुसन्धान और प्रकाशन अनुभाग
3- परीक्षा अनुभाग
4- शैक्षणिक अनुभाग
5- पुस्तकालय
6- विक्रय विभाग
7- योजना अनुभाग
8- छात्रवृत्ति अनुभाग
9- आदर्श महाविद्यालय/शोध संस्थान
10- परियोजना विभाग
11- पाली और प्राकृत विभाग
12- अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण
13- पत्राचार पाठ्यक्रम
14- मुक्तस्वाध्यायपीठम्
15- छात्र कल्याण अनुभाग
16- आई. के. एस. अनुभाग
17- मीडिया अनुभाग
18- नियुक्ति अनुभाग
19- प्रवेश अनुभाग

परिसर :

देश के विभिन्न भागों में केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय निम्नलिखित परिसर सुचारू हैं:

परिसरों के नाम और स्थान-

1. श्री गंगानाथ झा परिसर, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश
2. श्री सदाशिव परिसर, पुरी, ओडिशा
3. श्री रणवीर परिसर, जम्मू, जम्मू और कश्मीर
4. गुरुवायूर परिसर, त्रिशूर, केरल
5. जयपुर परिसर, जयपुर, राजस्थान
6. लखनऊ परिसर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश

7. श्री राजीव गाँधी परिसर, श्रृंगेरी, कर्नाटक
8. वेद व्यास परिसर, बलाहर, हिमाचल प्रदेश
9. भोपाल परिसर, भोपाल, मध्य प्रदेश
10. नासिक परिसर, नासिक, महाराष्ट्र
11. दिल्ली परिसर (मुख्यालय) जनकपुरी, नई दिल्ली
12. एकलव्य परिसर, अगरतला, त्रिपुरा
13. श्री रघुनाथकीर्ति परिसर, देवप्रयाग, उत्तराखंड

दिल्ली परिसर (मुख्यालय) से पत्राचार पाठ्यक्रम और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। दिल्ली मुख्यालय में पुस्तकालय, प्रकाशन विभाग, शोध केन्द्र और प्रदर्शनी हॉल उपलब्ध हैं। शेष सभी परिसरों में पुस्तकालय, प्रयोगशालाएँ, छात्र कक्ष, कर्मचारी आवास और सभी सुविधाओं से युक्त पुरूष और महिला छात्रावास उपलब्ध हैं। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अपने परिसरों के माध्यम से NEP-2020 पर आधारित पाठ्यक्रमों को (SYLLABUS) संचालित करता है। जिनका उल्लेख नीचे किया गया है:-

	उपाधि	**समानक**
1.	उत्तरमध्यमा/प्राक्शास्त्री	वरिष्ठ माध्यमिक
2.	शास्त्री/शास्त्री प्रतिष्ठा	बी.ए.
3.	आचार्य	एम.ए.
4.	शिक्षा शास्त्री	बी.एड.
5.	शिक्षा आचार्य	एम.एड.
6.	एकीकृत शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम	ITEP (बी.ए.-बी.एड.)
7.	विद्यावारिधि	पीएच.डी.

दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम कार्यक्रम

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अपने मुक्तस्वाध्यायपीठम् (दूरस्थ शिक्षा संस्थान) के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा के द्वारा प्राक्शास्त्री, शास्त्री, आचार्य (व्याकरण, ज्योतिष एवं साहित्य में) एवं अन्य प्रमाण-पत्र/परिचय पाठ्यक्रम संचालित करता है, विश्वविद्यालय का मुख्यालय दिल्ली में है तथा इनका क्रियान्वयन देश में राज्य के विभिन्न स्थानों पर स्थापित परिसरों के स्वाध्याय केन्द्रों में किया जाता है।

संस्कृत पढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता

a. **पारम्परिक संस्कृत विद्यालयों/महाविद्यालयों में संस्कृत शिक्षकों के वेतन हेतु वित्तीय सहायता:** इस योजना के अन्तर्गत चयनित संस्थाओं को नियमानुसार संस्कृत शिक्षकों को समेकित वेतन, विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति तथा पुस्तकालय अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
b. **पारम्परिक संस्कृत विद्यालयों/महाविद्यालयों में आधुनिक विषयों के शिक्षकों के वेतन के लिए वित्तीय सहायता:** संस्कृत के प्रचार-प्रसार की इस योजना के अन्तर्गत, केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय पारम्परिक संस्कृत विद्यालयों/महाविद्यालयों में आधुनिक विषयों के शिक्षकों को 6000 रुपये प्रति विषय सम्मान के रूप से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
c. **विभिन्न राज्यों के सरकारी विद्यालयों में संस्कृत शिक्षकों के वेतन हेतु वित्तीय सहायता -** संस्कृत सवंर्धन योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विभिन्न राज्यों के सरकारी विद्यालयों में संस्कृत शिक्षकों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। यह सहायता राशि संस्कृत शिक्षकों के वेतन हेतु प्रदान की जाती है।

d. **असहाय परिस्थितियों में रहने वाले प्रसिद्ध संस्कृत विद्वानों को मानदेय:** इस योजना के अन्तर्गत 55 वर्ष की आयु सीमा से ऊपर के उन प्रसिद्ध सुयोग्य विद्वानों को मानदेय दिया जाता है जिन्होंने अपना जीवन संस्कृत के लिए समर्पित कर दिया है। परन्तु आय का कोई स्थायी स्रोत नहीं है, जिसके सम्बन्ध में राज्य सर्वकार के माध्यम से सूचना प्रेषित की जा सकती है।

e. संस्कृत के उन्नयन के लिए विभिन्न कार्यक्रमों/गतिविधियों और अनुसन्धान परियोजनाओं पर स्वैच्छिक संगठनों, संस्कृत विश्वविद्यालयों/संस्थाओं को वित्तीय सहायता और संस्कृत शिक्षण के उन्नयन के लिए विश्वविद्यालयों/मान्य विश्वविद्यालयों/सीबीएसई/एनसीई आरटी/एससीईआरटी आदि को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

f. संस्कृत के विकास और प्रचार-प्रसार के लिए गैर सरकारी संगठनों/मान्य संस्कृत विद्यालय/महाविद्यालय/ विश्वविद्यालयों/संस्थानों द्वारा शुरू की गई विभिन्न परियोजनाओं और कार्यक्रमों से सम्बन्धित व्यय का 100 प्रतिशत भार केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जाता है।

g. दुर्लभ संस्कृत ग्रंथों का प्रकाशन, पुनर्मुद्रण एवं संस्कृत ग्रंथों की थोक खरीद करना।

h. **शास्त्रचूड़ामणि योजना:** इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों द्वारा संचालित आदर्श पाठशालाओं तथा संस्कृत महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों और स्वैच्छिक संगठनों से सेवानिवृत्त प्रख्यात संस्कृत विद्वानों की सेवाएँ ली जाती हैं। इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य पारम्परिक पद्धति से संस्कृत शिक्षा प्रदान करने वाले केन्द्रों में विभिन्न शास्त्रीय विषयों के गहन अध्ययन को संरक्षित करना है। योजना के अनुसार विभिन्न संस्थानों में पारम्परिक-संस्कृत विद्वानों की नियुक्ति की जाती है। प्रत्येक विद्वान को दो वर्ष की अवधि के लिए 6000/- रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। अनुदान समिति की सिफारिश पर उनकी नियुक्ति की अवधि को एक वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सकता है।

i. **व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना:** इस योजना के अन्तर्गत चयनित संस्थाओं को अपने विशेष विषयों जैसे ज्योतिष, कर्मकाण्ड, पुराशास्त्र, सूची निर्माण, पाण्डुलिपि विज्ञान, संस्कृत आशुलिपि एवं टंकण आदि में कार्यशालाएँ आयोजित करने तथा व्यावहारिक प्रशिक्षण संचालित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

j. **अखिल भारतीय शास्त्रीय प्रतियोगिता:** प्रतिवर्ष "अखिल भारतीय शास्त्रीय प्रतियोगिता" नाम से विभिन्न शास्त्रीय प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाती हैं।

वर्तमान परियोजनाएँ

1. **विश्वविद्यालय परिसरों में लघु एवं वृहद शोध परियोजनाएँ:** केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय शिक्षण एवं शोध के माध्यम से संस्कृत शास्त्रों के विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है। तदनुसार, केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के विभिन्न परिसर उच्च शिक्षा की विभिन्न शाखाओं में शोध के केन्द्र के रूप में कार्य कर रहे हैं। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय परियोजनाओं के माध्यम से सम्बन्धित परिसरों में कार्यरत प्राध्यापकों को शोध के क्षेत्र में सहायता प्रदान करता है। इसी क्रम में केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विभिन्न परिसरों में प्रतिवर्ष 1-2 वृहद परियोजनाएँ तथा 1-2 लघु परियोजनाएँ उपलब्ध कराने के लिए कृतसंकल्पित है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रथम चरण में 32 परियोजनाएँ (4 वृहद एवं 28 लघु परियोजनाएँ) चल रही हैं।

2. **मूक्स परियोजना:** मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स (मूक्स) दूरस्थ शिक्षा और मुक्त शिक्षा के क्षेत्र में एक नवाचार है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यक्रम उच्च शिक्षा में मुफ्त ऑनलाइन द्वारा अध्ययन की नई संभावनाओं के लिए अवसर प्रदान करते हैं। पाठ्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए संस्कृत आधारित पाठ्य सामग्री का निर्माण किया जा रहा है। इसलिए, केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय इस उभरते क्षेत्र की सम्भावनाओं का संज्ञान लेते हुए इसे बढ़ावा देने के लिए कृतसंकल्पित है।

3. **राजभाषा:** मंत्रालय केन्द्र सरकार के कार्यालयों में हिन्दी भाषा के प्रचार-प्रसार के लिए संघ की राजभाषा नीति का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन कर रहा है। इसी क्रम में राजभाषा विभाग के निर्देशन में केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा हिन्दी माध्यम से सरकारी कामकाज और विभिन्न कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। अन्य गतिविधियों के अलावा हिन्दी में किए जा रहे कामकाज की रिपोर्ट प्रत्येक तिमाही में राजभाषा विभाग और शिक्षा मंत्रालय को भेजी जाती है ।

4. **डेक्कन कॉलेज संस्कृत शब्दकोष परियोजना:** डेक्कन कॉलेज के संस्कृत विभाग में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के वित्तीय सहयोग से केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के माध्यम से ऐतिहासिक तथ्यों/सिद्धांतों पर आधारित तुलनात्मक संस्कृत शब्दकोष नामक परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। इस परियोजना के अन्तर्गत अब तक 32 खंड मुद्रित किए जा चुके हैं।

5. **भारतवाणी परियोजना:** भारतवाणी परियोजना का उद्देश्य मल्टीमीडिया (पाठ, श्रव्य, दृश्य और चित्र) का उपयोग करके भारत की सभी भाषाओं के बारे में तथा भारतीय भाषाओं में उपलब्ध ज्ञान को एक पोर्टल (वेबसाइट) पर उपलब्ध कराना है। भारतवाणी भारतीय भाषाओं/मातृभाषाओं को बड़े पैमाने पर उपलब्ध कराएगी। भारतवाणी पोर्टल पर उपलब्ध सभी सामग्री का उपयोग शैक्षिक और शोध उद्देश्यों के लिए निःशुल्क किया जा सकता है। भारतवाणी परियोजना के अनुरोध के अनुसार, पहले चरण में, केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित 40 ग्रंथों को भारतवाणी पोर्टल पर अपलोड किया गया है।

6. **आदर्श संस्कृत महाविद्यालय/शोध संस्थान:** वर्ष 1978 में भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त आदर्श संस्कृत महाविद्यालयों/आदर्श शोध संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करके शुरू किया गया था। पारम्परिक संस्कृत विद्यालयों/संस्कृत संस्थानों के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा समर्थन दिया गया था। 1993 में, आदर्श योजना नियमों ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अपने पत्र संख्या पहले के आदर्श योजना नियमों को संशोधित किया। फ़ाइल संख्या 30-19/88-संस्कृत-I, दिनांक 7 जुलाई 1993 के माध्यम से आदर्श योजना नियम बनाए गए, बाद में संशोधित योजना को मंत्रालय के पत्र संख्या एफ-83/94-संस्कृत-I दिनांक 16 जून 1995 के माध्यम से केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित किया गया। जिसे कार्यान्वयन के लिए गया था। मॉडल स्कीम नियम 1993 को वर्ष 2012 में मंत्रालय के पत्र संख्या एफएन 31-4/2009-संस्कृत-I दिनांक 29 जून, 2012 के द्वारा संशोधित किया गया था। छठे वेतन आयोग के कार्यान्वयन और ग्रेड पे और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियमों के माध्यम से उच्च शिक्षा में मानकों को बनाए रखने के लिए जारी नियमों के परिणामस्वरूप उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, विशेष रूप से संस्कृत शिक्षा में जो परिवर्तन हुए हैं, उसके परिणामस्वरूप यह आवश्यक हो गया है कि सभी मान्यता प्राप्त मॉडल संस्कृत कॉलेज/शोध संस्थानों को पारंपरिक शिक्षा को बढ़ावा देने और अनुसंधान को प्रभावी बनाने के लिए तत्काल प्रभाव से लागू किया जाना चाहिए। संशोधित योजना के तहत, देश के विभिन्न हिस्सों में 26 संस्थान भारत सरकार की वित्तीय सहायता से केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के अधीन चल रहे हैं, जिनमें से 22 आदर्श संस्कृत कॉलेज और 4 आदर्श शोध संस्थान हैं। इस योजना का उद्देश्य परम्परागत संस्कृत शिक्षा एवं शोध कार्य को बढ़ावा देना, शास्त्री, आचार्य, विद्यावारिधि की कक्षाओं में अधिक सुविधाएँ उपलब्ध कराना तथा संस्कृत शिक्षा के समग्र विकास को बढ़ावा देना तथा शोध आधारित प्रकाशन एवं शोध पत्रिकाओं का प्रकाशन करना है।

7. **पत्राचार पाठ्यक्रम:** केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भारत और विदेशों में संस्कृत के सामान्य विद्वानों के लिए हिंदी एवं हिन्दी साहित्य माध्यम से संस्कृत भाषा सीखने के लिए दो स्तरों पर दो वर्षीय अवधि के पत्राचार पाठ्यक्रम संचालित करता है:
   1. संस्कृत में प्रारम्भिक पाठ्यक्रम – प्रथम वर्ष हिन्दी और हिन्दी साहित्य
   2. संस्कृत में प्रारम्भिक पाठ्यक्रम – द्वितीय वर्ष हिन्दी और हिन्दी साहित्य

8. **अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण:** केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण केन्द्र के माध्यम से निम्नलिखित कार्यक्रम संचालित करता है -
   1. संस्कृत शिक्षण केन्द्रों की नवीन रूपरेखा का निर्धारण एवं क्रियान्वयन
   2. आवासीय संस्कृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम

3. साक्षात्कार कार्यक्रम
4. कार्यशाला का आयोजन
5. पञ्च दिवसीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम

देशभर में अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण केन्द्रों के माध्यम से लोग संस्कृत और भारत की सांस्कृतिक विरासत का ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस योजना में समाज के सभी वर्ग संस्कृत सीखने में बहुत उत्साह दिखाते हैं। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा तैयार प्रथमा, द्वितीया और तृतीया दीक्षा पाठ्यक्रम सामग्री विभिन्न केंद्रों में संस्कृत शिक्षण का मुख्य आधार है। छात्रों ने इस अध्ययन सामग्री की बहुत सराहना की है। प्रथम, द्वितीय और तृतीय दीक्षा के अन्त में प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। छात्र, शिक्षक सहित समाज के विभिन्न वर्गों के लोग इन केन्द्रों पर आते हैं और इसका लाभ उठाते हैं।

9. **पाली एवं प्राकृत:** मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार की पहल पर वर्ष 2009 में प्रारम्भ की गई पाली-प्राकृत परियोजना केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा संचालित योजनाओं का अभिन्न अंग बन गई है। यह योजना विश्वविद्यालय के तीन केन्द्रों - मुख्यालय दिल्ली, जयपुर परिसर एवं लखनऊ परिसर में संचालित है।

10. **प्राध्यापक विकास केन्द्रः** केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए शिक्षण, अनुसन्धान एवं विस्तार सुविधाएँ प्रदान करता है तथा ज्ञान की अन्य शाखाओं का विस्तार एवं सम्वर्धन करता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तथा अन्तः विषयक अध्ययन एवं अनुसन्धान में नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए संस्कृत एवं संस्कृत पारम्परिक विषयों के क्षेत्र में समग्र विकास सम्वर्धन, संरक्षण एवं अनुसन्धान के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों की क्षमता निर्माण और व्यावसायिक विकास को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय के जयपुर, अगरतला एवं गुरुवायूर परिसर में प्राध्यापक विकास केन्द्र की स्थापना की गई है, इन केन्द्रों में कार्यक्रम के माध्यम से उच्च शिक्षा के एवं संस्कृत विश्वविद्यालय के शिक्षकों को समयबद्ध तरीके से प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

11. **जनजातीय विकास अध्ययन केन्द्रः** केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय ने भारत केन्द्रित परिप्रेक्ष्य के माध्यम से जनजातीय प्रथाओं, संस्कृति, भाषा, धर्म, अर्थव्यवस्था, समानताओं और प्रकृति के साथ सम्बन्धों की विविधता को समझने के लिए विश्वविद्यालय के एकलव्य परिसर, अगरतला में जनजातीय विकास अध्ययन केन्द्र की स्थापना की गई है। यह केन्द्र अपने अनुसन्धानात्मक प्रयासों द्वारा भारतीय जनजातियों की विभिन्न लोक परम्पराओं और उनके स्वदेशी ज्ञान का अध्ययन और प्राप्त तथ्यो एवं सूचनाओं का एकत्रीकरण करेगा तथा प्राप्त तथ्यों के ज्ञान को देश के नागरिकों के साथ साझा करने की दिशा में भी कार्य करेगा। साथ ही इस केन्द्र से संरक्षण, विकास, वन और विशेष स्वास्थ्य आवश्यकताओं के सन्दर्भ में सार्वजनिक नीति को व्यावहारिक शैक्षणिक प्रोत्साहन दिया जाएगा।

12. **क्रीड़ा उत्कृष्टता केन्द्र**

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा खेलों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए, प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान कर उन्हें उच्च स्तरीय प्रशिक्षण देकर आधुनिक उपकरण और सुविधाएँ प्रदान कर राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिभागिताओं के लिए तैयार करने के लिये वेदव्यास परिसर, बलाहर में क्रीड़ा उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना की गई है।

आरक्षण नीति (Reservation Policy)

भारत में शिक्षा की विषय-वस्तु और गुणवत्ता के मामले में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक है। भारत सरकार के द्वारा निर्धारित आरक्षण नीति न्यूनतम अंकों में छूट SC/ST/OBC/EWS/ PH/VH का पालन/आवेदन करने वाले न्यूनतम अंकों के अभ्यर्थियों के लिए किया जाता है।

अनुसूचित जाति (SC) एवं अनुसूचित जन जाति (ST) के लिए सीटों का आरक्षण -

- अनुसूचित जाति (SC) के लिए 15% तथा अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए 7.5%, सीटें आरक्षित हैं।

पंजीकरण और प्रवेश के समय उम्मीदवार के पास अपने नाम का जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए: (क) उसकी जाति/जनजाति का नाम (ख) क्या उम्मीदवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित है (ग) उम्मीदवार के सामान्य निवास स्थान का जिला और राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, और (घ) भारत सरकार की उचित अनुसूची जिसके तहत उसकी जाति/जनजाति को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में अनुमोदित किया गया है। उम्मीदवार को प्रवेश के समय वैध मूल जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। निम्नलिखित को अपेक्षित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार है:

a) जिला मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट / कलेक्टर / डिप्टी कमिश्नर / एडिशनल डिप्टी कमिश्नर / डिप्टी कलेक्टर / प्रथम श्रेणी वजीफा प्राप्त मजिस्ट्रेट / सिटी मजिस्ट्रेट / सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट / तालुका मजिस्ट्रेट / कार्यकारी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त सहायक आयुक्त।
b) चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / एडिशनल चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।
c) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे न हो।
d) उस क्षेत्र का सब-डिवीजनल ऑफिसर जहां उम्मीदवार और उसका परिवार सामान्य रूप से रहता है।
e) प्रशासक / प्रशासक का सचिव / विकास अधिकारी (लक्षद्वीप समूह)। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि किसी अन्य व्यक्ति/प्राधिकरण से प्राप्त एससी/एसटी प्रमाण पत्र किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि उम्मीदवार एससी या एसटी से संबंधित है, तो उम्मीदवार की जाति/जनजाति भारत सरकार की उचित अनुसूची में सूचीबद्ध होनी चाहिए।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित सभी सीटों को नियमानुसार पूरित करना परिसरों/संबद्ध संस्थानों की ओर से एक वैधानिक दायित्व है।

अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए सीटों का आरक्षण

(ओबीसी, गैर-क्रीमीलेयर, केंद्रीय सूची)

अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सीटों का आरक्षण (ओबीसी, गैर-क्रीमीलेयर, केंद्रीय सूची) आवेदकों के लिए 27% सीटें आरक्षित हैं।

ओबीसी उम्मीदवार को प्रवेश देते समय, परिसर/संबद्ध संस्थान यह सुनिश्चित करेंगे कि जाति ओबीसी की केन्द्रीय सूची में शामिल है (ओबीसी की स्थिति राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अधिसूचित ओबीसी की केंद्रीय (भारत सरकार) सूची के आधार पर निर्धारित की जानी है (वेबसाइट http://ncbc.nic.in/backward classes/index.html पर उपलब्ध है।) प्रमाण पत्र में उम्मीदवार की गैर-क्रीमी लेयर स्थिति का उल्लेख होना चाहिए (डीओपीटी कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93- स्थापना (एससीटी) दिनांक 15.11.1993 में उल्लिखित प्राधिकारी द्वारा जारी गैर-क्रीमी लेयर स्थिति)। ओबीसी उम्मीदवार जो 'गैर-क्रीमी लेयर' से संबंधित हैं और जिनकी जाति केवल ओबीसी की केंद्रीय सूची में दिखाई देती है, वे ओबीसी श्रेणी के तहत प्रवेश के लिए विचार करने के पात्र होंगे डीओपीटी कार्यालय ज्ञापन संख्या 36036/2/2013-स्था. (आरक्षण-I) दिनांक 31 मार्च 2016 के अनुसार उम्मीदवारों की 'गैर-क्रीमी लेयर' स्थिति का प्रमाण पत्र 31 मार्च, 2025 को या उसके बाद जारी किया जाना चाहिए।

ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित सभी सीटों को नियमानुसार भरने हेतु परिसरों/सम्बद्ध संस्थाओं का संवैधानिक दायित्व है।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण नीति

भारत सरकार की अधिसूचना ओ.एम. संख्या 36039/1/2019-स्था.(आरक्षण) दिनांक 31.01.2019 के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी के लिए आरक्षण के लिए, विश्वविद्यालय विभागों / केन्द्रों / परिसरों / सम्बद्ध संस्थानों ने ईडब्ल्यूएस श्रेणी से सम्बन्धित उम्मीदवारों के प्रवेश के लिए 10% सीटें आरक्षित की गई हैं।

अतिरिक्त सीट पर प्रवेश

1- बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति (PwBD)

(क) लोकोमोटर विकलांगता

(किसी व्यक्ति की मस्कुलोस्केलेटल या तंत्रिका तंत्र या दोनों की बीमारी के कारण स्वयं और वस्तुओं की गति से जुड़ी विशिष्ट गतिविधियों को निष्पादित करने में असमर्थता), जिसमें शामिल हैं—

1- "कुष्ठ रोग से ठीक हुआ व्यक्ति" का अर्थ है वह व्यक्ति जो कुष्ठ रोग से ठीक हो चुका है, लेकिन निम्न से पीड़ित है- i) हाथ या पैर में संवेदना की हानि के साथ-साथ आंख और पलक में संवेदना की हानि और पक्षाघात, लेकिन विकृति का कोई लक्षण नहीं. ii) स्पष्ट विकृति और पक्षाघात, लेकिन उसके हाथ और पैर में पर्याप्त गतिशीलता है, जिससे वह सामान्य आर्थिक गतिविधि में संलग्न हो सके. iii) अत्यधिक शारीरिक विकृति और साथ ही वृद्धावस्था जो उसे कोई लाभकारी व्यवसाय करने से रोकती है और "कुष्ठ रोग से ठीक हुआ" अभिव्यक्ति को तदनुसार समझा जाएगा।

2- "सेरेब्रल पाल्सी" का अर्थ है शरीर की गतिविधियों और मांसपेशियों के समन्वय को प्रभावित करने वाली गैर-प्रगतिशील न्यूरोलॉजिकल स्थिति का समूह, जो मस्तिष्क के एक या अधिक विशिष्ट क्षेत्रों को नुकसान के कारण होता है, जो आमतौर पर जन्म से पहले, जन्म के दौरान या उसके तुरंत बाद होता है।

3- "बौनापन" का अर्थ है एक चिकित्सा या आनुवंशिक स्थिति जिसके परिणामस्वरूप वयस्क की ऊंचाई 4 फीट 10 इंच (147 सेंटीमीटर) या उससे कम होती है।

4- "मस्कुलर डिस्ट्रॉफी" का अर्थ है वंशानुगत आनुवंशिक मांसपेशी रोग का एक समूह जो मानव शरीर को हिलाने वाली मांसपेशियों को कमजोर करता है और मल्टीपल डिस्ट्रॉफी वाले व्यक्तियों के जीन में गलत और गायब जानकारी होती है, जो उन्हें स्वस्थ मांसपेशियों के लिए आवश्यक प्रोटीन बनाने से रोकती है। यह प्रगतिशील कंकाल की मांसपेशियों की कमजोरी, मांसपेशी प्रोटीन में दोष और मांसपेशी कोशिकाओं और ऊतकों की मृत्यु की विशेषता है।

5- "एसिड अटैक पीड़ित" का अर्थ है एसिड या इसी तरह के संक्षारक पदार्थ फेंकने से हिंसक हमलों के कारण विकृत व्यक्ति।

(ख) दृश्य हानि -

1- "अंधापन" का अर्थ है ऐसी स्थिति जिसमें किसी व्यक्ति में निम्न में से कोई भी स्थिति हो, सर्वोत्तम सुधार के बाद i) दृष्टि की पूर्ण अनुपस्थिति. या ii) बेहतर आँख में 3/60 से कम या 10/200 (स्नेलन) से कम दृश्य तीक्ष्णता, सर्वोत्तम संभव सुधार के साथ. या iii) 10 डिग्री से कम के कोण पर दृष्टि के क्षेत्र की सीमा।

2- "कम दृष्टि" का अर्थ है ऐसी स्थिति जिसमें किसी व्यक्ति में निम्न में से कोई भी स्थिति हो, अर्थात्: i) बेहतर आँख में 6/18 से अधिक या 20/60 से कम या 3/60 या 10/200 (स्नेलन) तक की दृश्य तीक्ष्णता, सर्वोत्तम संभव सुधार के साथ. या ii) 40 डिग्री से कम या 10 डिग्री तक के कोण पर दृष्टि के क्षेत्र की सीमा।

(ग) श्रवण दोष

1- "बधिर" का अर्थ है ऐसे व्यक्ति जिनके दोनों कानों में वाणी आवृत्तियों में 70 डीबी श्रवण हानि है।

2- “सुनने में कठिनाई” का अर्थ है ऐसे व्यक्ति जिनके दोनों कानों में वाणी आवृत्तियों में 60 डीबी से 70 डीबी श्रवण हानि है।

3- “भाषण और भाषा विकलांगता” का अर्थ है स्वरयंत्र उच्छेदन या वाचाघात जैसी स्थितियों से उत्पन्न स्थायी विकलांगता जो जैविक या तंत्रिका संबंधी कारणों से भाषण और भाषा के एक या अधिक घटकों को प्रभावित करती है।

(घ) बौद्धिक विकलांगता

एक ऐसी स्थिति जिसमें बौद्धिक कार्यप्रणाली (तर्क, सीखना, समस्या समाधान) और अनुकूल व्यवहार दोनों में महत्वपूर्ण सीमा होती है जो हर दिन सामाजिक और व्यावहारिक कौशल की एक श्रृंखला को कवर करती है, जिसमें शामिल हैं-

1- "विशिष्ट अधिगम अक्षमता" का अर्थ है स्थितियों का एक विषम समूह जिसमें बोली जाने वाली या लिखित भाषा को संसाधित करने में कमी होती है, जो समझने, बोलने, पढ़ने, लिखने, वर्तनी करने या गणितीय गणना करने में कठिनाई के रूप में प्रकट हो सकती है और इसमें अवधारणात्मक अक्षमता, डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, डिस्प्रैक्सिया और विकासात्मक वाचाघात जैसी स्थितियाँ शामिल हैं.

2- "ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार" का अर्थ है एक न्यूरो-विकासात्मक स्थिति जो आमतौर पर जीवन के पहले तीन वर्षों में दिखाई देती है जो किसी व्यक्ति की संवाद करने, रिश्तों को समझने और दूसरों से जुड़ने की क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है, और अक्सर असामान्य या रूढ़िवादी अनुष्ठानों या व्यवहारों से जुड़ी होती है।

(ङ) मानसिक बीमारी "मानसिक बीमारी" का अर्थ है सोच, मनोदशा, धारणा, अभिविन्यास या स्मृति का एक बड़ा विकार जो निर्णय, व्यवहार, वास्तविकता को पहचानने की क्षमता या जीवन की सामान्य मांगों को पूरा करने की क्षमता को बुरी तरह से प्रभावित करता है, लेकिन इसमें मंदबुद्धि शामिल नहीं है जो किसी व्यक्ति के दिमाग के विकास में रुकावट या अपूर्णता की स्थिति है, जो विशेष रूप से बुद्धि की असामान्यता की विशेषता है।

एफ. क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल स्थितियों के कारण होने वाली विकलांगता, जैसे कि –

1- "मल्टीपल स्केलेरोसिस" का अर्थ है एक सूजन, तंत्रिका तंत्र की बीमारी जिसमें मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी की तंत्रिका कोशिकाओं के अक्षतंतुओं के चारों ओर माइलिन म्यान क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जिससे डिमाइलिनेशन होता है और मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में तंत्रिका कोशिकाओं की एक दूसरे के साथ संवाद करने की क्षमता प्रभावित होती है.

2- "पार्किंसंस रोग" से तात्पर्य तंत्रिका तंत्र के प्रगतिशील रोग से है, जिसमें कम्पन, मांसपेशियों में कठोरता और धीमी, अनिश्चित गति होती है, जो मुख्य रूप से मध्यम आयु वर्ग और बुजुर्ग लोगों को प्रभावित करती है, जो मस्तिष्क के बेसल गैन्लिया के अध:पतन और न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन की कमी से जुड़ी होती है।

(च) रक्त विकार

1- "हीमोफीलिया" एक वंशानुगत बीमारी, जो आमतौर पर केवल पुरुषों को प्रभावित करती है, लेकिन महिलाओं द्वारा उनके पुरुष बच्चों को प्रेषित की जाती है, जिसमें रक्त की सामान्य थक्का जमने की क्षमता में कमी होती है, जिससे मामूली घाव के कारण घातक रक्तस्राव हो सकता है।

2- "थैलेसीमिया" वंशानुगत विकारों का एक समूह, जिसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम या अनुपस्थित होती है।

3- "सिकल सेल रोग" एक हेमोलिटिक विकार, जिसमें क्रोनिक एनीमिया, दर्दनाक घटनाएं और संबंधित ऊतक और अंग क्षति के कारण विभिन्न जटिलताएं होती हैं. "हेमोलिटिक" लाल रक्त कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली के विनाश को संदर्भित करता है, जिसके परिणामस्वरूप हीमोग्लोबिन निकलता है।

(छ) बहु विकलांगताएँ

(उपर्युक्त निर्दिष्ट विकलांगताओं में से एक से अधिक) बहु विकलांगताएँ जिसमें बहरापन शामिल है जिसका अर्थ है एक ऐसी स्थिति जिसमें किसी व्यक्ति में सुनने और देखने की अक्षमता का संयोजन हो सकता है जिससे गंभीर संचार, विकासात्मक और शैक्षिक समस्याएं हो सकती हैं।

अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि पीडब्ल्यूबीडी प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के नाम पर हो तथा किसी मान्यता प्राप्त सरकारी अस्पताल द्वारा जारी किया गया हो तथा उस पर अभ्यर्थी का विधिवत् सत्यापित फोटोग्राफ लगा हो।

2- सशस्त्र बलों के कार्मिकों (सीडब्ल्यू) के बच्चे/विधवाएँ

इस श्रेणी के अंतर्गत उम्मीदवारों के लिए सभी परिसरों/संबद्ध संस्थानों में कार्यक्रम-वार पाँच प्रतिशत (5%) सीटें आरक्षित हैं।

ऐसे सभी उम्मीदवारों को उचित लेटरहेड पर निम्नलिखित में से किसी भी अधिकारी द्वारा जारी शैक्षिक रियायत प्रमाण पत्र (ईसीसी) अपलोड करना होगा:

(ए) सचिव, केंद्रीय सैनिक बोर्ड, दिल्ली।
(बी) सचिव, राज्य जिला सैनिक बोर्ड।
(सी) प्रभारी अधिकारी, अभिलेख कार्यालय।
(डी) प्रथम श्रेणी वजीफा मजिस्ट्रेट।
(ई) गृह मंत्रालय
(वीरता पुरस्कार प्राप्त पुलिस कर्मियों के लिए)

इसके अतिरिक्त कोई अन्य प्रारूप स्वीकार्य नहीं होगा। माता-पिता या आश्रित के पहचान पत्र, मेडिकल कार्ड, राशन कार्ड, सीएसडी कार्ड आदि के रूप में सीडब्ल्यू श्रेणी के प्रमाण सही प्रारूप में प्रमाण पत्र के बदले स्वीकार्य नहीं हैं। प्रमाण पत्र में प्राथमिकता का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। ऐसे प्रमाणपत्र जिनमें प्रासंगिक प्राथमिकता का उल्लेख नहीं किया गया है उन पर विचार नहीं किया जाएगा।

सशस्त्र बलों (प्राथमिकता IX तक) के कार्मिकों के बच्चों/विधवाओं को प्रवेश दिया जा सकता है, जिसमें अर्धसैनिक कार्मिक (केवल प्राथमिकता I से V) शामिल हैं, वरीयता के निम्नलिखित क्रम में: -

प्राथमिकता I युद्ध में मारे गए रक्षा कर्मियों की विधवाएँ/आश्रित।

प्राथमिकता II युद्ध में विकलांग हुए रक्षा कर्मियों के आश्रित तथा सैन्य सेवा के कारण विकलांगता के कारण सेवा से बाहर कर दिए गए।

प्राथमिकता III सैन्य सेवा के कारण सेवा में रहते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए रक्षा कर्मियों की विधवाएँ/आश्रित।

प्राथमिकता IV सैन्य सेवा के कारण सेवा में विकलांग हुए रक्षा कर्मियों के आश्रित तथा सैन्य सेवा के कारण विकलांगता के कारण सेवा से बाहर कर दिए गए।

प्राथमिकता V भूतपूर्व सैनिकों तथा सेवारत कर्मियों के आश्रित, जिनमें पुलिस बल के कार्मिक शामिल हैं जो वीरता पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं।

(i) परमवीर चक्र
(ii) अशोक चक्र
(iii) महावीर चक्र
(iv) कीर्ति चक्र
(v) वीर चक्र
(vi) शौर्य चक्र
(vii) अग्निशमन सेवा कर्मियों को वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक/राष्ट्रपति वीरता पदक
(viii) सेना पदक (वीरता), नौसेना पदक (वीरता), वायु सेना पदक (वीरता)
(ix) मेंशन-इन-डिस्पैच
(x) वीरता के लिए पुलिस पदक/अग्निशमन सेवाओं के लिए वीरता पदक।

प्राथमिकता VI भूतपूर्व सैनिकों के बच्चे।

प्राथमिकता VII निम्नलिखित की पत्नियाँ:

(i) युद्ध के दौरान विकलांग हुए तथा सेवा से बाहर कर दिए गए रक्षा कार्मिक

(ii) सैन्य सेवा के दौरान विकलांग हुए तथा सैन्य सेवा के दौरान विकलांगता के कारण सेवा से बाहर कर दिए गए रक्षा कार्मिक

(iii) भूतपूर्व सैनिक तथा सेवारत कार्मिक जो वीरता पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं।

प्राथमिकता VIII सेवारत कार्मिकों के बच्चे।

प्राथमिकता IX सेवारत कार्मिकों की पत्नियाँ।

3- एकल बालिका

एकल बालिका का अर्थ है एकमात्र संतान। यानी माता-पिता की एकमात्र बालिका, जिसका कोई अन्य भाई-बहन न हो। प्रत्येक परिसर/संबद्ध संस्थान में एकल बालिकाओं के लिए प्रति पाठ्यक्रम में एक सीट आरक्षित रहेगी। इसमें जुड़वां बालिकाएँ भी शामिल हैं।

a. जुड़वां बालिकाओं के मामले में, इसे एक ही प्रवेश माना जाएगा।

b. एकल बालिका (जुड़वां बालिकाओं सहित) के मामले में, यदि आवेदनों की संख्या आवंटित सीटों की संख्या से अधिक है, तो प्रवेश योग्यता (CUET प्रवेश परीक्षा स्कोर या कैंपस प्रवेश परीक्षा स्कोर) के आधार पर दिया जाना चाहिए।

4- छात्रों के प्रवेश के लिए विशेष प्रावधान

खेल कोटा(ए) अंडर-ग्रेजुएट और पोस्ट-ग्रेजुएट दोनों कार्यक्रमों में 2% सीटें, बकाया खिलाड़ियों और खेल व्यक्तियों के प्रवेश के लिए बेरसेवित होंगी, जिन्होंने अपने विश्वविद्यालयों/क्षेत्र/राज्य का प्रतिनिधित्व किया है, बशर्ते कि वे प्रवेश मांगने के लिए निर्धारित न्यूनतम पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करें विभिन्न कार्यक्रमों के लिए।(बी) मामले के रूप में कुल मिलाकर या विषय में 5% अंकों की सीमा तक छूट हो सकता है, ऐसे उम्मीदवारों को दिया जाएगा।

i. एनसीसी

- कुल मिलाकर या एक विषय में 5% अंकों की सीमा तक, जैसा कि मामला हो सकता है, एनसीसी कैडेट्स को प्रवेश के लिए निम्नलिखित एनसीसी प्रमाणपत्रों के लिए दिया जाएगा।
- एनसीसी के आधार पर भर्ती किए गए छात्रों को कम से कम एक वर्ष के लिए एनसीसी में जारी रखना होगा।
- एनसीसी प्रमाणपत्र के आधार पर अंकों की छूट केवल एनसीसी अधिकारी द्वारा सत्यापित एक प्रमाण पत्र के उत्पादन पर स्वीकार्य होगी

ii. एन.एस. एस स्वयंसेवक

- एनएसएस स्वयंसेवकों, जिन्होंने दो 10 दिनों के विशेष शिविरों और एक राष्ट्रीय एकीकरण शिविर या गणतंत्र दिवस शिविर में भाग लिया है, को कुल मिलाकर या एक विषय में एकत्रित या एक विषय में 2% अंकों की छूट प्रदान की जा सकती है, दोनों ही स्नातक और पोस्ट-ग्रेजुएट कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए।
- NSS प्रमाणपत्र के आधार पर दिए गए अंकों की छूट प्रासंगिक प्रमाणपत्रों के उत्पादन पर अनुमेय होगी।

iii. पाठ्येतर गतिविधियां

- अंडर-ग्रेजुएट और पोस्ट-ग्रेजुएट दोनों कार्यक्रमों में 2% सीटें अतिरिक्त पाठ्येतर गतिविधियों वाले छात्रों के लिए आरक्षित होंगी, बशर्ते कि उन्होंने राष्ट्रीय/जोनल स्तर के सांस्कृतिक/साहित्यिक प्रतियोगिताओं में भाग लिया हो।
- विशेष प्रावधान के तहत आरक्षण को क्षैतिज आधार पर संचालित किया जाना है, इसका मतलब है, यदि किसी उम्मीदवार को विशेष प्रावधान के तहत चुना जाता है, तो उसे समायोजित किया जाएगा

छात्रवृत्ति

उद्देश्य

सीएसयू के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को संस्कृत शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है।

छात्रवृत्ति के लिए पात्रता-

1. CUET प्रवेश परीक्षा या केन्द्रीकृत प्रवेश परीक्षा/परिसर द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा में 60% (सामान्य/ईडब्ल्यूएस/ओबीसी), 50% (एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी) श्रेणी अङ्को के साथ उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को मात्र 10 माह के लिए 100 प्रतिशत छात्रवृत्ति (800/- रुपये प्रतिमाह)।
2. छात्रवृत्ति योग्यता (Merit) के आधार पर प्रदान की जाएगी। जिन विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई है, उन्हें पाठ्यक्रम की अवधि तक छात्रवृत्ति मिलती रहेगी, यदि वे प्रत्येक वर्ष उत्तीर्ण घोषित किए जाते हैं और छात्रवृत्ति के लिए पात्र बने रहते हैं। लेकिन, यदि उन्हें किसी विषय या पेपर में प्रमोट घोषित किया जाता है या कम्पार्टमेंट के लिए रोक दिया जाता है तो उन्हें पाठ्यक्रम के शेष वर्षों के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करने पर विचार नहीं किया जाएगा।
3. यदि कुछ छात्रवृत्तियाँ उपलब्ध हों तो द्वितीय वर्ष के पात्र छात्रों को भी छात्रवृत्ति प्रदान करने पर विचार किया जा सकता है।

छात्रवृत्ति प्रदान करने के नियम

1. छात्रवृत्ति प्रदान करना शैक्षणिक प्रगति, अच्छे आचरण और नियमित उपस्थिति पर निर्भर होगा।
2. छात्रवृत्ति प्रत्येक वर्ष 10 महीने के लिए प्रदान की जाएगी।
3. प्रत्येक वर्ष या परीक्षा उत्तीर्ण करने पर छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए छात्रों का नया चयन किया जाएगा। जिन छात्रों ने अपना पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है या परीक्षा का एक भाग उत्तीर्ण कर लिया है, उन्हें नए वर्ष या पाठ्यक्रम में योग्यता (Merit) के आधार पर छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।
4. उपरोक्त नियमों के आधार पर छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्र को किसी अन्य स्रोत से कोई छात्रवृत्ति, वेतन, फीस आदि नहीं मिलेगी। यदि उसे ऐसी आय प्राप्त हो रही है, तो उसे वह रोजगार छोड़ना होगा और प्राप्त राशि वापस करनी होगी। यदि उसे अप्रत्याशित रूप से कोई पुरस्कार, नकद या किसी अन्य रूप में, उसकी छात्रवृत्ति की राशि के बराबर या उससे कम प्राप्त होता है, तो उसे छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा। इसी प्रकार, उसे विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली निःशुल्क शिक्षा, स्व-अध्ययन के लिए छात्रावास की सुविधा, पुस्तकें और यात्रा की सुविधा का लाभ उठाने की अनुमति दी जाएगी।
5. छात्रवृत्ति की राशि सीएसयू द्वारा किसी भी समय बढ़ाई या घटाई जा सकती है। छात्रवृत्ति का वितरण वित्तीय स्वीकृति तथा विश्वविद्यालय से स्वीकृत राशि प्राप्त होने पर ही किया जाएगा। छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए **75 प्रतिशत उपस्थिति तथा अनुशासन बनाए रखना** अनिवार्य है। यदि सीएसयू का कोई शिक्षक या कर्मचारी छात्र द्वारा की गयी अनुशासनहीनता की शिकायत करता है तो छात्रवृत्ति निलंबित या रद्द की जा सकती है। (क) छात्रवृत्ति के लिए छात्रों की चयन प्रक्रिया अन्तिम परीक्षा के अंको के आधार पर किया जाएगा। (ख) छात्रवृत्ति की अवधि एक सत्र में 10 माह होगी। (ग) पात्रता मानदंडों के आधार पर छात्रवृत्ति प्रथम या द्वितीय वर्ष से पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष तक होगी। (घ) छात्रवृत्ति रद्द होने के पश्चात सीएसयू की पूर्व अनुमति के बिना इसे पुनः शुरू नहीं किया जाएगा। (ङ) संतोषजनक आचरण तथा नियमित उपस्थिति छात्रवृत्ति की मूल शर्तें हैं। यदि किसी छात्र की उपस्थिति किसी भी महीने में किसी भी विषय में 75% से कम हो जाती है, तो उसे तब तक छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी जब तक वह अनिवार्य 75% उपस्थिति पूरी नहीं कर लेता। यदि कोई छात्र लगातार 30 दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो उसे अनुपस्थिति की अवधि के दौरान देय राशि काटने के बाद ही छात्रवृत्ति दी जाएगी, भले ही उसकी कुल उपस्थिति का प्रतिशत 75% से अधिक हो।

छात्र को सम्बन्धित परिसर के निर्देशानुसार राष्ट्रीयकृत में बैंक खाता खुलवाकर संचालित करना होगा।

वितरण-

सामान्यतः सम्बन्धित परिसर के निदेशक छात्रवृत्ति समिति की संस्तुति पर प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में छात्र के बैंक खाते में छात्रवृत्ति राशि के वितरण का आदेश देंगे, समिति छात्र की उपस्थिति के प्रतिशत को ध्यान में रखते हुए करेगी। छात्र की प्रथम माह की छात्रवृत्ति प्रवेश तिथि कक्षारम्भ से शुरु होगी।

छात्रावास

सीएसयू के लगभग सभी परिसरों में बालक एवं बालिका छात्रावास की सुविधा उपलब्ध है। संस्थान के परिसर निर्धारित छात्रावास नियमों का पालन करेंगे, जिन्हें संबंधित परिसर द्वारा अपने छात्रावासों में प्रदर्शित किया जाएगा।

छात्रों के लिए ड्रेस कोड-

छात्रों को संबंधित परिसर/संबद्ध संस्थान के निदेशक/प्रधानाचार्य द्वारा तय की गई वेशभूषा या शालीन वस्त्र पहनना अनिवार्य होगा।

प्रवेश रद्द करना और प्रतीक्षा सूची वाले उम्मीदवारों का प्रवेश-

समय पर प्रवेश संबंधी सभी औपचारिकताएं पूरी न करने वाले उम्मीदवारों का प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा और उनकी जगह प्रतीक्षा सूची वाले उम्मीदवारों को मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा, बशर्ते कि वे निर्धारित समय के भीतर प्रवेश संबंधी अपनी औपचारिकताएं भी पूरी कर लें।

नोट:

i. यदि कोई उम्मीदवार किसी सूचना के आधार पर प्रवेश पाने में सफल हो जाता है, जो बाद में झूठी पाई जाती है, तो उसका प्रवेश बिना कोई कारण बताए रद्द कर दिया जाएगा और इसके लिए सीएसयू जिम्मेदार नहीं होगा।

ii. यदि इस विवरणिका में उल्लिखित नियमों और संस्थान द्वारा समय-समय पर अपनी अधिसूचनाओं के माध्यम से प्रकाशित या संकेतित नियमों के बीच कोई विसंगति है, तो बाद वाले नियम (अर्थात सीएसयू द्वारा प्रकाशित नियम) लागू होंगे और उन्हें वरीयता दी जायेगी।

प्रवेश के लिए सामान्य नियम

छात्रों के लिए APAAR पंजीकरण अनिवार्य होगा।

- विभिन्न विषयों (कार्यक्रमों) में प्रवेश पाने के इच्छुक उम्मीदवारों को केवल **समर्थ पोर्टल** पर ही आवेदन जमा करना चाहिए।
- उम्मीदवारों को कार्यक्रम के लिए आवेदन के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज समर्थ पोर्टल पर अपलोड करने होंगे, ऐसा न करने पर आवेदन को तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- प्रवेश के समय, उम्मीदवारों को निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे -

ii. अंतिम योग्यता परीक्षा का अंक पत्र तथा प्रोविजनल/उत्तीर्ण प्रमाण पत्र की प्रति।
iii. मैट्रिकुलेशन/एसएससी से लेकर अंतिम योग्यता परीक्षा तक प्रत्येक परीक्षा में प्राप्त अंक पत्र (मार्कशीट) की प्रति।
iv. मूल स्थानान्तरण प्रमाण पत्र।
v. मूल योग्यता प्रमाण पत्र।
vi. मूल प्रव्रजन प्रमाण पत्र।
vii. मूल चरित्र प्रमाण पत्र।
viii. जन्म तिथि प्रमाण पत्र की प्रति।
ix. आधार कार्ड की प्रति।
x. अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (ABC) आईडी की प्रति।
xi. अन्य पिछड़ा वर्ग जाति प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति) और आय प्रमाण पत्र की प्रति।
xii. अनुसूचित जाति (SC)/अनुसूचित जनजाति (ST)/ अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) नॉन-क्रीमीलेयर (NC)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अद्यतन प्रमाण पत्र की प्राप्ति।
xiii. दिव्यांग प्रमाण पत्र प्रति। (यदि लागू हो) Person with Disablity (PWD)
xiv. मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र (प्रवेश के बाद संबंधित परिसर/संबद्ध संस्थान में प्रस्तुत किया जाएगा)
xv. Anti-ragging.in के माध्यम से पंजीकरण करके परिसर में एंटी रैगिंग का प्रमाण प्रस्तुत करना।

परिसर/संबद्ध संस्थानों में फॉर्म जमा करते समय पासपोर्ट साइज फोटो और अन्य दस्तावेज अनिवार्य हैं।

- किसी भी तरह से अपूर्ण आवेदन और नियत तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- छात्रों को विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित पात्रता, योग्यता, अच्छे आचरण आदि के नियमों के अनुसार और साक्षात्कार के बाद वास्तविक प्रवेश की तिथि पर लागू नियमों के अनुसार विश्वविद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा।
- छात्र निर्धारित नियमावली का पालन नहीं करता है, तो उसको विश्वविद्यालय से निलम्बित/निष्कासित किया जा सकता है।
- विश्वविद्यालय किसी विशेष कार्यक्रम के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर वर्ष के दौरान कोई भी कार्यक्रम चलाने या न चलाने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- किसी भी विषय में शास्त्री प्रतिष्ठा के लिए आवेदित छात्र को मौखिक परीक्षा वाक्यार्थ आदि अनिवार्य रूप से उत्तीर्ण करना होता है।
- शास्त्री/शास्त्री प्रतिष्ठा में प्रवेश के समय आवेदकों की अधिकतम आयु सामान्य वर्ग/ईडब्ल्यूएस के लिए 22 वर्ष, एससी/एसटी/ओबीसी/पीडब्ल्यूडी के लिए 25 वर्ष है तथा महिला आवेदकों के लिए कोई आयु सीमा नहीं है।

उपस्थिति और अवकाश नियम

छात्रों के लिए सभी कक्षाओं में नियमित उपस्थिति अनिवार्य है। यदि कोई छात्र लिखित रूप से अवकाश के लिए आवेदन किए बिना लगातार दस दिन या उससे अधिक समय तक कक्षाओं से अनुपस्थित रहता है तो उसका नाम कक्षा से निरस्त कर दिया जाएगा। प्राचार्य ऐसे छात्र को पुनः प्रवेश देने का आदेश दे सकते हैं, बशर्ते कि वे छात्र द्वारा अनधिकृत अनुपस्थिति के कारणों के स्पष्टीकरण से संतुष्ट हों। ऐसी स्थिति में छात्र को सम्पूर्ण सत्रार्द्ध का शुल्क पुनः जमा करना होगा।

प्राक शास्त्री, शास्त्री एवं आचार्य की परीक्षा में बैठने के लिए विद्यार्थी की उपस्थिति 75 प्रतिशत होनी चाहिए, अर्थात विद्यार्थी को एक शैक्षणिक सत्र (वार्षिक प्रणाली के मामले में) या एक शैक्षणिक सेमेस्टर (सेमेस्टर प्रणाली के मामले में) में कुल व्याख्यान दिवसों के अधिकतम 25 प्रतिशत के लिए ही अवकाश दिया जाएगा। यह अवकाश निम्नलिखित आधारों पर निदेशक/प्राचार्य की पूर्व अनुमति से स्वीकार्य होगा: (क) विद्याशाखा की संस्तुति पर बिना चिकित्सा प्रमाण-पत्र के 10 दिन का अवकाश। (ख) 20 दिन का चिकित्सा अवकाश जिसके लिए पंजीकृत चिकित्सक से बीमारी एवं स्वस्थता का चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्राप्त किया गया हो।

नोट:

दोनों प्रकार के उपर्युक्त लाभ पूरे सत्र के लिए स्वीकार्य होंगे, एक सेमेस्टर के लिए नहीं। यदि कोई छात्र सत्र के प्रथम सेमेस्टर में उक्त अवकाश का पूरा लाभ ले लेता है तो उसे अगले सेमेस्टर में कोई लाभ नहीं मिल सकेगा। अर्थात् छात्र को विद्याशाखा की संस्तुति पर निदेशक/प्राचार्य द्वारा अधिकतम 20% सैद्धांतिक पत्रों में तथा 10% प्रायोगिक गतिविधियों में अवकाश दिया जाएगा। इन छात्रों को कोई अन्य अवकाश स्वीकार्य नहीं होगा। परीक्षा के सन्दर्भ में अनिवार्य उपस्थिति में छूट।

a. कुलपति आवश्यक कुल उपस्थिति में से 5% तक छूट दे सकते हैं। सम्बन्धित परिसरों/आदर्श महाविद्यालयों/सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्य छूट देने के लिए वैध कारण बताते हुए ऐसे मामलों को माननीय कुलपति को अनिवार्य रूप से भेजेंगे।

b. स्थानांतरण मामलों में, छात्र को पिछले परिसर या संस्थान में उपस्थिति का लाभ मिलेगा, लेकिन पत्राचार माध्यम से प्रारंभिक पाठ्यक्रम में अध्ययन करने वाले छात्र सीएसयू द्वारा समय-समय पर उनके लिए अधिसूचित नियमों द्वारा शासित होंगे।

c. उपर्युक्त मानदण्डों को पूरा करने के बावजूद, जिस छात्र को सीएसयू से निष्कासित कर दिया गया है या जो निश्चित अवधि के लिए परीक्षा देने के लिए अयोग्य पाया गया है, उसे संस्थान की किसी भी परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। घ) जिस छात्र की उपस्थिति 75 प्रतिशत या उससे अधिक है, वह अस्वस्थता के कारण परीक्षा में बैठने में असमर्थ है और अपनी बीमारी के बारे में चिकित्सा प्रमाण पत्र तथा पंजीकृत चिकित्सक से अपनी फिटनेस प्रमाणित करने वाला चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है, उसे भूतपूर्व छात्र के रूप में अगली परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी। वह कक्षाओं में उपस्थित हो सकता है, लेकिन छात्रवृत्ति का हकदार नहीं होगा।

नोट: सीएसयू या किसी अन्य शैक्षणिक संस्थान द्वारा आयोजित दो परीक्षाओं में एक साथ उपस्थित होने की अनुमति नहीं है।

ORDINANCE NO. 39.8. Attendance, Page from 79-

Attendance

i. Attendance is an important component in the assessment and evaluation system of the University.

ii. The criteria for allotment of marks for attendance shall be mentioned in detailed Course Outline [DCO] or lecture plan by concerned faculty member(s).

iii. The teacher handling a course shall be responsible for maintaining a record of attendance of students who have registered for the course and shall send the monthly attendance record to the concerned Campus Director/Head of Institution.

iv. For appearing in the University examinations, requirement of minimum attendance in a semester/academic year and condonation therein shall be as prescribed by the University from time to time.

For courses regulated by a statutory regulatory body, if the statutory body provides for any specific guideline for attendance, the same shall be applicable as approved by the Board of Studies of the concerned School/Competent Authority of the University.

v. Marks for attendance in a particular subject shall be given based on the attendance record submitted by the respective faculty member(s). The break-up of marks for Attendance shall be as per table given below:

Total marks for Attendance	Range of Attendance	Marks Allotted
5 (Five)	Greater than or equal to 75% and less than or equal to 80%	1
	Greater than 80% and less than or equal to 85%	2
	Greater than 85% and less than or equal to 90%	3
	Greater than 90% and less than or equal to 95%	4
	Greater than 95% and less than or equal to 100%	5

vi. Student who has been disallowed due to shortage of attendance shall be required to repeat ail the subjects of the said semester/academic year with the next batch of students. The University enrolment number of such student shall, however, remain unchanged and he/she shall be required to complete the course in a maximum permissible period as mentioned in clause 5(iii).

The concerned Campus Director/Head of Institution shall announce the names of all such students who are not eligible to appear in the semester/term end examination/annual examination based on the attendance record, at least 5 calendar days before the start of the examination and simultaneously, intimate the same to the Controller of Examination.

vii. If a student remains absent from classes on medical grounds, he/she shall have to submit the "Medical Certificate" issued by a registered Medical Practitioner to the concerned Campus Director/Head of

Institution within one week after returning to classes. After the end of stipulated time of one week, the Medical Certificate shall not be accepted and considered.

छात्रों के लिए अनुशासन की आचार संहिता

छात्रों का आचरण उच्च कोटि का होना चाहिए, ताकि वे सीएसयू की प्रतिष्ठा में वृद्धि करें। उन्हें धूम्रपान, शराब या अन्य प्रकार के तम्बाकू या नशीली दवाओं का सेवन करना आदि परिसर में पूर्णतया वर्जित है तथा उन्हें परिसर में आयोजित की जाने वाली विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों में भाग लेने की अपेक्षा की जाती है। यदि कोई छात्र परिसर की किसी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाता है, तो उसका प्रवेश रद्द किया जा सकता है और नुकसान की राशि उससे वसूल की जाएगी।

आचार संहिता-

विश्वविद्यालय के सभी छात्र निम्नलिखित आचार संहिता का पूरी तरह से सख्ती से पालन करेंगे -

1. सभी छात्र आत्म-अनुशासन का पालन करेंगे और नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित होंगे।
2. अनुशासन का उल्लंघन करने वालों को नियमानुसार दंडित किया जाएगा। गंभीर उल्लंघन के दोषी पाए जाने वाले छात्रों को परिसर की अनुशासन समिति द्वारा संस्तुति किए जाने पर निष्कासन की सजा दी जा सकती है।
3. परिसर की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी छात्र के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। तथा किए गये नुकसान की भरपाई उस छात्र या सम्बन्धित व्यक्ति से की जाएगी।
4. परिसर के विद्यार्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे परिसर की गरिमा बनाए रखें। इसे ध्यान में रखते हुए, उन्हें ऐसी किसी भी अवांछनीय गतिविधि से दूर रहने के लिए प्रेरित किया जाता है जो परिसर की गरिमा के विरुद्ध हो।
5. यदि किसी छात्र का आचारण परिसर की मर्यादा/प्रतिष्ठा/गरिमा के अनुकूल नहीं है तो सम्बन्धित निदेशक और परिसरीय अनुशासन समिति उस छात्र को नियमानुसार दण्डित कर सकती है।
6. परिसर के शैक्षणिक वातावरण की अनुकूलता के लिए प्रत्येक छात्र की जिम्मेदारी रहेगी।
7. अनुशासन समिति की संस्तुति पर निदेशक/प्राचार्य का निर्णय अन्तिम होगा।
8. कक्षाओं के दौरान मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा।

ORDINANCE NO. 24, STUDENTS DISCIPLINE Page 66-67

1. The students of the University shall have to observe discipline which includes observance of good conduct and orderly behaviour.
2. The following and such other Rules as framed by the University from time to time shall strictly be observed by the students of the University.

   (i) Every student of the University shall maintain discipline and consider it his/her duty to behave decently at all places.

   (ii) No student shall visit places or areas declared by the University as "Out of Bounds" for the students.

   (iii) Every student shall always carry on his/her Identity Card issued by the competent authority.

(iv) Every student, who has been issued the Identity Card, shall have to produce or surrender the Identity Card, as and when required by the University.

(v) Any Student found guilty of impersonation or of giving a false name should be liable to disciplinary action.

(vi) The loss of the Identity Card, whenever it occurs, shall immediately be reported in writing to the competent authority.

(vii) If a student is found to be continuously absent from Classes without information for a period of 15 days in one or more Classes, his/her name shall be struck off the rolls. He/she may, however, be re-admitted within the next fortnight by the University on payment of the prescribed re admission fee and other dues etc.

(viii) The Vice Chancellor may consider readmission beyond the above prescribed period in special circumstances not exceeding one month.

3. Indiscipline shall include:

(i) Irregularity in attendance, persistent idleness or negligence or indifference towards the work assigned.

(ii) Causing disturbance to a Class or the Office or the Library, the auditorium and the Play Ground etc..

(iii) Disobeying the instructions of teachers or the authorities.

(iv) Misconduct or misbehaviour of any nature at the time of elections of the student bodies or at meetings or during curricular or extra-curricular activities of the University.

(v) Misconduct or misbehaviour of any nature at the Examination Centre.

(vi) Misconduct or misbehaviour of any nature towards a teacher or any employee of the University or any visitor to the University or security persons.

(vii) Causing damage, spoiling or disfiguring the property/equipment of the University.

(viii) Inciting others to do any of the aforesaid acts.

(ix) Giving publicity to misleading information or rumour amongst the students.

(x) Mischief, misbehaviour and/or nuisance committed by the residents of the hostels.

(xi) Visiting places or areas declared as 'out of bounds' for the students.

(xii) Not carrying the Identity cards issued by the Proctor.

(xiii) Refusing to produce or surrender the Identity Card as and when required by the authorized Staff of the University.

(xiv) Any act and form of sexual harassment, ragging or discrimination on the basis of caste, category, religion, race etc..

(xv) Engaging in unlawful activities that includes membership of banned organizations, organizing meetings and processions without due permission of the competent authorities. and

(xvi) Any other conduct anywhere which is considered to be unbecoming of a student.

4. Students found guilty of breach of discipline shall be liable to such punishment as deemed fit and as prescribed by the University from time to time.

   However, no such punishment shall be imposed on an erring student unless he/she is given a fair chance to defend himself/herself. This shall not preclude the honorable Vice-Chancellor from suspending an erring student during the pendency of disciplinary proceedings against him/her.

5. All powers relating to discipline and disciplinary action in relation to the student shall vest in the honorable Vice-Chancellor. However, the honorable Vice-Chancellor may delegate all or any of his/her powers as he deems proper to the competent authority or to the Discipline Committee as the case may be or any functionary of the University.

एंटी-रैगिंग विनियम

यूजीसी एंटी-रैगिंग विनियम-2009, नियम 6-3 (ए) दिनांक 17 जून, 2009 के अनुसार सभी परिसरों में एंटी-रैगिंग समितियों का गठन किया जाएगा। यूजीसी एंटी-रैगिंग विनियम-2009 की धारा 7 के अनुसार, रैगिंग के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य अपराध की श्रेणी में शामिल हैं जिसमें नियमों के तहत सजा दी जाएगी:-

1. किसी को रैगिंग के लिए उकसाना।
2. रैगिंग के लिए आपराधिक साजिश में शामिल होना।
3. रैगिंग के लिए इकट्ठा होना और शांति भंग करना।
4. रैगिंग के लिए सार्वजनिक आंदोलन में बाधा डालना।
5. रैगिंग के लिए नैतिकता और गरिमा का उल्लंघन करना।
6. शारीरिक चोट पहुंचाना।
7. अनुचित बाधा उत्पन्न करना।
8. बल का आपराधिक प्रयोग करना।
9. शारीरिक, यौन या अप्राकृतिक अपराध करना।
10. किसी व्यक्ति या वस्तु को जबरन पकड़ना।
11. आपराधिक इरादे से अतिक्रमण करना।
12. सम्पत्ति से सम्बन्धित अपराधों में लिप्त होना।
13. किसी को आपराधिक रूप से डराना, धमकाना।
14. मुश्किल हालात में फंसे लोगों के खिलाफ ऊपर बताए गए किसी भी अपराध में लिप्त होना।
15. ऊपर बताए गए अपराधों में से एक या कई अपराधों के पीड़ितों को धमकाना।
16. किसी को शारीरिक या मानसिक रूप से अपमानित करना।
17. रैगिंग के रूप में परिभाषित सभी अपराध में से।

रैगिंग क्या है –

निम्नलिखित में से कोई एक या एक से अधिक अनुशासनहीनता रैगिंग के अन्तर्गत माने जाएंगे।

क) वरिष्ठ छात्र/छात्राओं द्वारा नव प्रविष्ट छात्र/छात्राओं के साथ मौखिक, लिखित या शारीरिक यातना या दुर्व्यवहार करना।

ख) छात्र/छात्राओं द्वारा अनुशासनहीनता और भय का माहौल बनाना, जिससे नए छात्र/छात्राओं को परेशानी, बेचैनी या शारीरिक या मानसिक पीड़ा के अन्तर्गत हो।

ग) छात्र से ऐसा कोई कृत्य करने के लिए कहना जो वह आमतौर पर नहीं करता और जिससे शर्म, पीड़ा या डर की भावना पैदा हो।

घ) वरिष्ठ छात्र/छात्राओं द्वारा ऐसा कोई कृत्य करना जिससे किसी अन्य या नए छात्र द्वारा की जा रही शैक्षणिक गतिविधि में बाधा उत्पन्न हो।

ङ) किसी अन्य छात्र/छात्राओं को दिए गए शैक्षणिक कार्य को करवाने के लिए मजबूर करके किसी छात्र/छात्रा का शोषण करना।

च) किसी भी छात्र का किसी भी तरह से आर्थिक शोषण करना।

छ) शारीरिक शोषण/किसी भी तरह का यौन शोषण/समान लिंग पर हमला/शरीर को उजागर करने के लिए कपड़े या पोशाक उतारना/अश्लील या यौन गतिविधि के लिए मजबूर करना/शारीरिक हाव-भाव के माध्यम से अभद्रता व्यक्त करना/किसी भी तरह की शारीरिक यातना जो किसी के शरीर या स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा आदि गतिविधियाँ सम्मिलित होंगी।

ज) किसी को मौखिक रूप से गाली देना, ई-मेल, मेल करना/सार्वजनिक रूप से अपमानित करना या यातना देना अथवा ऐसी सनसनी पैदा करना जिससे छात्र/छात्रों/नए छात्र/छात्रों में भय का मनोविकार पैदा हो।

झ) कोई भी ऐसा कृत्य जो किसी नए छात्र के मन या आत्मविश्वास पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो।

ञ) किसी छात्र को गलत रास्ते पर जाने के लिए प्रोत्साहित करना या उस पर हावी होने की कोशिश करना।

ट) रैगिंग निषेध के लिए टोल फ्री नंबर - 1800-180-5522 का प्रयोग कर सकते है। टेलीफोन नंबर 09871170303, 09818400116 केवल अत्यावश्यकता के लिए वेबसाइट www.antiragging.in

रैगिंग की घटना की सूचना मिलने पर की जाने वाली कार्यवाही-

एन्टी-रैगिंग कमेटी या किसी अन्य स्रोत से रैगिंग की घटना की सूचना मिलने पर संस्था प्रधान को सबसे पहले सूचना की सत्यता की पुष्टि करनी चाहिए। यदि सूचना सही पाई जाती है तो उसे सूचना मिलने के 24 घंटे के अन्दर एफआईआर दर्ज करानी चाहिए अथवा रैगिंग के विरुद्ध स्थानीय कानून के अनुसार कार्यवाही करनी चाहिए। रैगिंग की घटनाओं पर प्रशासनिक कार्यवाही की जा सकती है -

एन्टी-रैगिंग एक्ट-2009 के नियम 9.1(बी) के अनुसार रैगिंग में लिप्त पाए जाने वाले छात्रों के लिए निम्नलिखित दण्ड का प्रावधान है: जिसके अन्तर्गत परिसरों में **रैगिंग के दोषी पाए जाने वाले छात्र/छात्राओं के विरुद्ध निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही होगी।**

क) परिसर की एन्टी-रैगिंग कमेटी मामले में उचित निर्णय लेगी अथवा रैगिंग की घटना की गंभीरता को देखते हुए प्राचार्य को दोषियों के लिए उचित दण्ड की संस्तुति करेगी।

ख) रैगिंग विरोधी समिति रैगिंग अपराध की प्रकृति और गंभीरता को ध्यान में रखेगी तथा निम्नलिखित में से किसी भी दण्ड की संस्तुति करेगी:

I. कक्षा में उपस्थिति से निलम्बन तथा अन्य शैक्षणिक अधिकार के प्रति कार्यवाही।
II. छात्रवृत्ति तथा अन्य लाभों का निलम्बन।
III. किसी भी परीक्षण, परीक्षा या अन्य मूल्यांकन प्रक्रिया में शामिल होने से रोकना।
IV. परिणाम की घोषणा पर रोक।
V. किसी भी क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय मीट, खेल, युवा महोत्सव आदि में संस्था का प्रतिनिधित्व करने से रोकना।
VI. छात्रावास से निष्कासन।
VII. प्रवेश निरस्त करना।
VIII. नियमानुसार निर्धारित समयावधि या चार साल के लिए संस्थान से निष्कासन।
IX. एक निश्चित अवधि के लिए परिसर से निष्कासन। यदि दोषियों की पहचान नहीं हो पाती है, तो परिसर सामूहिक दण्ड का सहारा ले सकता है।

ग) एन्टी-रैगिंग कमेटी द्वारा दी गई सजा के खिलाफ अपील निम्नलिखित प्राधिकारियों के समक्ष की जा सकती है:

I. माननीय कुलपति, यदि संस्थान विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है तो।
II. महामहिम कुलाधिपति, यदि विश्वविद्यालय द्वारा की गयी अनुशासनात्मक कार्यवाही के सन्दर्भ में ।
III. अध्यक्ष या कुलाधिपति, यदि सजा देने वाला संस्थान संसद के अधिनियम द्वारा बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की संस्था होने पर।

परिसर समितियाँ

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के सभी परिसरों में वार्षिक गतिविधियों के सुचारू एवं सुव्यवस्थित संचालन के लिए निम्नलिखित समितियों का गठन किया जाना चाहिए। हालाँकि, आवश्यकता पड़ने पर कुछ उप-समितियाँ भी गठित की जा सकती है।

1. प्रवेश समिति
2. अनुशासन समिति
3. छात्रावास समिति
4. पुस्तकालय समिति

5. शैक्षणिक समिति
6. सांस्कृतिक, शास्त्रीय एवं कला समिति
7. छात्रवृत्ति समिति
8. परीक्षा समिति
9. पत्रिका प्रकाशन समिति
10. रैगिंग विरोधी समिति
11. शिक्षक-अभिभावक परामर्शदात्री समिति
12. योजना, परियोजना एवं विकास समिति
13. क्रय एवं विक्रय, नीलामी, मुद्रण एवं फोटोग्राफी समिति
14. सत्यापन समिति (पुस्तकें, स्टोर, फर्नीचर, फिक्सचर, स्टेशनरी आदि के लिए)
15. दिव्यांगों, अल्पसंख्यकों के लिए समिति
16. मानवाधिकार एवं यौन उत्पीड़न विरोधी समिति।
17. व्यक्तित्व विकास, रोजगार एवं प्लेसमेंट सलाहकार समिति
18. आरटीआई सेल
19. स्थानीय शोध समिति
20. राष्ट्रीय सेवा योजना समिति
21. प्रेस, मुद्रण, विज्ञापन, सूचना एवं जनसम्पर्क समिति
22. पारदर्शिता एवं सतर्कता समिति
23. छात्र कल्याण निधि समिति
24. खेल समिति
25. छात्र परामर्श केन्द्र
26. प्लेसमेंट सेल
27. शिकायत निवारण समिति
28. मार्गदर्शन सेल
29. डिजिटल लर्निंग एवं मॉनीटरी सेल
30. एससी एवं एसटी सेल
31. ओबीसी सेल

महत्वपूर्ण संपर्क:		**सम्पर्क सूत्रः**
अधिष्ठाता अकादमिक मामले	academic@csu.co.in	011-28524993 - 250 (Ext)
परीक्षा नियंत्रक	exam@csu.co.in	011-28524993 - 232 (Ext)
कुलसचिव	registrar@csu.co.in	011-28524993 - 231 (Ext)
प्रभारी प्रवेश	registrar@csu.co.in	011-28524993 - 242 (Ext)

प्राक्शास्त्री प्रवेश हेतु अर्हता

Duration: 4 Semesters for the 2-year Prak shastri Programme {Prak Shastri (+2)}
Pattern: Semester/CBSE as per NEP 2020 with multiple entry & exit options.

Eligibility: Admission to the course in a Campus/Affiliated Institution is through a merit list prepared on the basis of an Entrace test conducted by the respective campus/ Affiliated Institution and pass in any one of the following examinations equivalent to 10th with 36% of Marks:

1) S.S.E. / CBSE / equivalent NIOS programme.
2) Purva Madhyama of
   क) Central Sanskrit University (CSU), New Delhi or
   ख) Sampurnananda Sanskrit University, Varanasi.
3) Sanskrit Entrance Exam. of Govt. of AP / Telangana.
4) Veda Bhushan Certificate of Maharshi Sandipani Rashtriya Veda Vidya Pratishthan, Ujjain.
5) Equivalent examination from any State Board of School Education.
6) University with or without Sanskrit as one of the subjects.

The CSU reserves the right to admit the students through **Special Admission Drive** with appropriate eligibility criteria & conditions to fill the leftover vacancies.
Programme Structure & Seat Allocation of Campuses.

Medium of Instruction: Sanskrit (for Traditional subjects), English & Hindi (Multidisciplinary) & Concerned Languages for the Language Paper.

शास्त्री/शास्त्री प्रतिष्ठा प्रवेश हेतु अर्हता

1. Shastri /B.A., Shastri Pratistha /B.A Hons. And B.Sc.

Sl.No.	Programmes offered
School of Veda, Vedanga & Vedic Sciences	
1	Shastri in Veda-Karmakanda-Paurohitya
2	Shastri Pratistha in Veda-Karmakanda-Paurohitya
3	Shastri in Vedabhashyam
4	Shastri in Jyotish
5	Shastri Pratistha in Jyotish
6	Shastri in Vyakarana
7	Shastri Pratistha in Vyakarana
School of Shastric Knowledge System	
8	Shastri in Dharma Shastra

9	Shastri Pratistha in Dharma Shastra
School of Darshana	
10	Shastri in Advaita Vedanta
11	Shastri Pratistha in Advaita Vedanta
12	Shastri in Mimansa
13	Shastri in Nyaya
14	Shastri Pratistha in Nyaya
15	Shastri in Darshana
16	Shastri Pratistha in Darshana
17	Shastri in Bauddha Darshana
18	Shastri in Jain Darshana
19	Shastri Pratistha in Sankhyayoga
School of Language, Literature & Culture	
20	Shastri in Sahitya
21	Shastri Pratistha in Sahitya
22	Shastri Pratistha in Puranetihasa
School of Yogic Science & Holistic Health Practices	
23	B.Sc in Yogic Science

Duration: ***6 Semesters for the 3-year UG Programme*** **{Shastri /B.A, B.Sc.}**
8 Semesters for the 4-year UG Programme **{Shastri Pratistha/B.A Hons.}**

Pattern: Semester/CBSE as per NEP 2020 with multiple entry & exit options.

Eligibility: Students with valid CUET Score and a Pass in any one of the following examinations as in 10+2 pattern for all Shastri & Shastri Pratistha Programmes (with additional qualification for) Vedabhashyam -

1. Uttara Madhyama/Prak Shastri from any Sanskrit University or Sanskrit Council, through traditional system.
2. Higher Secondary Examination/Intermediate or equivalent examination from any State Board of School Education or University.
3. Vedavibhushan Examination conducted by Maharishi Sandipani Rashtriya Vedavidya Pratishthanam.
4. Eligibility Criteria for Shastri in Vedabhashyam:

In addition to the above mandatory qualifications, those who have passed/Completed Samhita (Rigveda/Krishna/Shukla Yajurveda/Samaveda and Atharva Veda) and certified by vedicgurukula/ Traditional Institutions and have some knowledge of Sanskrit are eligible (subject to the passing of interview conducted by the University Campuses in the Samhita of respective Vedas)

CUET Score & Merit Lists for admission:

The following criteria shall be followed by the Admission Committee for drawing the Merit Lists based on the CUET Score. Allotment of seats shall be in the same order of the Merit Lists (subject to seat availability after allotment to the previous Merit Lists).

Details of the Applicant	Merit list-1 (first round)	Merit List-2 (second round)
Has CUET Score with Sanskrit in Section 1B and /or Section 2?	Yes	Yes
Has applied and not attended the CUET Exam & not applied for CUET?	No	Yes

1st Merit List

Preference will be given only to the candidates who are having valid CUET score with Sanskrit at both sections 1B and/or 2. *But the merit list will be prepared on the basis of marks in domain subject/section 2*.

2nd Merit List

1. Preference will be given to the candidates who are having CUET score and not confirmed seat in any campus/affiliated institute in the programme chosen by them in 1st Merit list for any other campus/affiliated institute.
2. Preference will be given to the candidates who are having CUET score and not applied in first round.
3. The Last Preference will be given to the candidates who haven't even applied for CUET entrance.

The CSU reserves the right to admit the students through Special Admission Drive and/or Campus level Entrance Test with appropriate eligibility criteria & conditions to fill the leftover vacancies.
Programme Structure & Course Choices of Campuses (as per Annexures).

Medium of Instruction:

Sanskrit for Traditional Subjects, English for Multidisciplinary & Concerned Languages for the Language Paper.

Lateral Entry Provisions:

As per the UGC guidelines for Multiple Entry and Exit in Academic Programmes offered in Higher Education Institutions, as amended from time to time

आचार्य प्रवेश हेतु अर्हता

Sl.No.	**Programmes offered**
1.	Acharya (M.A.) In Advaita Vedanta
2.	Acharya (M.A.) In Aksharpurushottam Darshana
3.	Acharya (M.A.) In Bauddha Darshan
4.	Acharya (M.A.) In Bhot Bauddha Darshana
5.	Acharya (M.A.) In Darshan
6.	Acharya (M.A.) In Dharma Shastra
7.	Acharya (M.A.) In Dvaita Vedanta
8.	Acharya (M.A.) In Jain Darshan
9.	Acharya (M.A.) In Kashmira Shaiva Darshan
10.	Acharya (M.A.) In Mimamsa
11.	Acharya (M.A.) In Nyaya
12.	Acharya (M.A.) In Phalit Jyotish
13.	Acharya (M.A.) In Prakrit
14.	Acharya (M.A.) In Puranetihasa
15.	Acharya (M.A.) In Sahitya
16.	Acharya (M.A.) In Sankhya Yoga
17.	Acharya (M.A.) In Siddhant Jyotisha
18.	Acharya (M.A.) In Veda
19.	Acharya (M.A.) In Veda Bhasyam
20.	Acharya (M.A.) In Vishishtadvaita Vedanta
21.	Acharya (M.A.) In Vyakarana
22.	M.A. In Natya Shastra And Indian Theatre
23.	M.A. In Indian Knowledge Systems (IKS)
24.	M.A. In Sanskrit
25.	M.A. In Vedic Literature

Duration: 4 Semesters for the 2-year PG Programme {Acharya /M.A}

Pattern: Semester/CBCS as per NEP 2020 with multiple entry & exit options.

Eligibility: Students with valid CUET Score and a Pass in any one of the following examinations –

1. Shastri from Central Sanskrit University, or any other Sanskrit University, or any recognized institution.
2. Shiromani from Madras University, Annamalai University, Shri Venkteshwar University, Tirupati.
3. Vidvadmadhyama from Karnataka University.
4. Shastrabhushan (Prelim.) from Kerala University.
5. B.A (Oriental Learning) from any recognized university.
6. BA with Sanskrit as one of the subject from any recognized university.

M.A in Pali -

Duration: 4 Semesters for the 2-year PG Programme {Acharya /M.A}

Pattern: Semester/CBCS as per NEP 2020 with multiple entry & exit options.

Eligibility: Students with valid CUET Score and a Pass in any one of the following examinations

1. Candidate must have completed B.A in Pali/Buddhist Studies under at least 10+2+3 pattern/Pali/Buddhist Studies.
2. Studied in all the three years at B.A. level with 45% marks from any recognized University/Institute.
3. or Graduate in any other discipline with Diploma in Pali or Diploma in Pali Grammar.

M.A in Hindu Studies –

Duration: 4 Semesters for the 2-year PG Programme {Acharya /M.A}

Pattern: Semester/CBCS as per NEP 2020 with multiple entry & exit options.

Eligibility: Students with valid CUET Score and a Pass in any one of the following examinations

1. Shastri from Central Sanskrit University, or any other Sanskrit University, or any recognized institution.
2. Shiromani from Madras University, Annamalai University, Shri Venkteshwar University, Tirupati.
3. Vidvadmadhyama from Karnataka University.
4. Shastrabhushan (Prelim.) from Kerala University.
5. B.A (Oriental Learning) from any recognized university.
6. BA or equivalent degree from any recognized university.

M.Sc. in Yogic Science

Duration: 4 Semesters for the 2-year PG Programme {Acharya /M.A}

Pattern: Semester/CBCS as per NEP 2020 with multiple entry & exit options.

Eligibility: Students with valid CUET Score and a Pass in any one of the following examinations

1. B.Sc. Yoga with minimum 50% marks from any recognized university following 10+2+3 course pattern or any equivalent degree from any recognized university/Institutions.

CUET Score & Merit Lists for admission:

The following criteria shall be followed by the Admission Committee for drawing the Merit Lists based on the CUET Score. Allotment of seats shall be in the same order of the Merit Lists (subject to seat availability after allotment to the previous Merit Lists)

Details of the Applicant	**Merit list-1 (first round)**	**Merit List-2 (second round)**
Has CUET Score with Shastri/B.A or equivalent degree?	Yes	Yes

Has not applied and not attended the CUET Exam?	No	Yes

1st Merit List

1. Preference will be given only to the candidates who are having valid CUET score.

2nd Merit List

1. Preference will be given to the candidates who are having CUET score and not confirmed seat in any campus/affiliated institute in the programme chosen by them in 1st Merit list.
2. Preference will be given to the candidates who havenot applied and not attended/ completed the CUET exam.

The CSU reserves the right to admit the students through Special Admission Drive and/or Campus level Entrance Test with appropriate eligibility criteria & conditions to fill the leftover vacancies.

Note:

- All types of fees are to be remitted through Samarth Portal only.
- Fees for the subsequent years of study is exclusive of Admission fee of the total fee or as notified by the University from time to time.
- All candidates are advised to keep the record of all kinds of payments.
- The Fees structure doesn’t include examination fee, which has to be paid as and when due separately.

शुल्क के लिए नियमावली

1- नियमित पाठ्यक्रम में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के ऐसे छात्र उन्हें शिक्षण में शुल्क में 50% एवं परीक्षा शुल्क में 100% (पूर्ण छूट) दी जा सकती है।

2- VH, PH छात्रों को शिक्षण शुल्क 50% एवं परीक्षा शुल्क में 100% छूट दी जा सकेगी।

3- शहीदों के आश्रितों को शिक्षण शुल्क में छूट दी जा सकेगी।

4- अनाथ (जिनके माता-पिता न हो) छात्रों को शिक्षण शुल्क में छूट दी जा सकेगी।

वर्ष 2025-26 के लिए प्राक्शास्त्री कक्षाओं के लिए शुल्क संरचना

1st & 3rd Semester Fee –

SL.No.	Items	Fee in Rupees
1	Admission processing fee	**200**
2	Admission Fee	**300**
3	Enrollment Fee	**100**
4	Library Caution Money	**400**
5	Identity Card	**100**
6	Student Fund	**400**
7	Magazine Fee	**100**
8	Library Utility Fee	**100**
9	Sports Fee	**100**
10	Various Activities, Art/Craft Fee	**125**
11	Tuition Fee	**500**
Total Fee	**For GEN/EWS/OBC**	**2425**
	For SC/ST/PWD/CW (@50% of the total fees approximately)	**1213**

2nd & 4th Semester Fee –

SL.No.	Items	Fee in Rupees
1	Library Utility Fee	**100**
2	Sports Fee	**100**
3	Various Activities, Art/Craft Fee	**125**
4	Tuition Fee	**500**
Total Fee	**For all Students**	**825**

वर्ष 2025-26 के लिए शास्त्री/शास्त्री प्रतिष्ठा (चार वर्ष) कक्षाओं के लिए शुल्क संरचना

1st, 3rd, 5th & 7th Semester Fee -

SL.No.	Items	Fee in Rupees
1	Admission processing fee	**200**
2	Admission Fee	**300**
3	Enrollment Fee	**100**
4	Library Caution Money	**400**
5	Identity Card	**100**
6	Student Fund	**400**
7	Magazine Fee	**100**
8	Library Utility Fee	**200**
9	Sports Fee	**100**

10	Various Activities, Art/Craft Fee	**200**
11	Tuition Fee	**1000**
Total Fee	**For GEN/EWS/OBC**	**3100**
	For SC/ST/PWD/CW	**2600**

2nd, 4th, 6th & 8th Semester fee –

SL.No.	Items	Fee in Rupees
1	Library Utility Fee	**200**
2	Sports Fee	**100**
3	Various Activities, Art/Craft Fee	**200**
4	Tuition Fee	**1000**
Total Fee	**For GEN/EWS/OBC**	**1500**
	For SC/ST/PWD/CW	**1000**

वर्ष 2025-26 के लिए बी.एससी. योग विज्ञान (तीन वर्ष) कक्षाओं के लिए शुल्क संरचना

1st, 3rd & 5th Semester Fee –

SL.No.	Items	Fee in Rupees
1	Admission processing fee	**200**
2	Admission Fee	**2000**
3	Enrollment Fee	**1000**
4	Library Caution Money	**800**
5	Identity Card	**100**
6	Student Fund	**800**
7	Magazine Fee	**100**
8	Library Utility Fee	**400**
9	Sports Fee	**100**
10	Various Activities, Art/Craft Fee	**2000**
11	Tuition Fee	**15000**
Total Fee	**For GEN/EWS/OBC**	**22500**
	For SC/ST/PWD/CW	**15000**

2nd, 4th & 6th Semester Fee –

SL.No.	Items	Fee in Rupees
1	Library Utility Fee	**400**
2	Sports Fee	**100**
3	Various Activities, Art/Craft Fee	**2000**
4	Tuition Fee	**15000**
Total Fee	**For GEN/EWS/OBC**	**17500**
	For SC/ST/PWD/CW	**10000**

वर्ष 2025-26 के लिए शिक्षाशास्त्री कक्षाओं के लिए शुल्क संरचना

Fee structure for Shiksha Shastri (B.Ed.) 2 year Regular Programme.

1st Semester Fee -

SL.No.	Items	Fee
1	Admission Fee	300
2	Enrollment Fee	100
3	Library Caution Money	400
4	Identity Card	100
5	Student Fund	400
6	Magazine Fee	500
7	Library Utility Fee	300
8	Sports Fee	200
9	Various Activities, Art/Craft Fee	2700
10	Teaching Kit	800
11	Computer Lab Fee	500
12	Extension Lecture	200
13	Tuition Fee	1000
Total Fee		**7500/- (For Gen/Ews/Obc)** **7000/- (For Sc/St/Pwd/Cw)**

2nd Semester fee –

SL.No.	Items	Fee
1	Computer Lab Fee	500
2	Extension Lecture	200
3	Tuition Fee	1000
Total Fee		**1700/- (For Gen/Ews/Obc)** **1200/- (For Sc/St/Pwd/Cw)**

3rd Semester Fee –

SL.No.	Items	Fee
1	Admission Fee	300
2	Enrollment Fee	100
3	Library Caution Money	400
4	Identity Card	100
5	Student Fund	400
6	Magazine Fee	500

7	Library Utility Fee	300
8	Sports Fee	200
9	Various Activities, Art/Craft Fee	2700
10	Teaching Kit	800
11	Computer Lab Fee	500
12	Extension Lecture	200
13	Tuition Fee	1000
Total Fees		**7500/- (For Gen/Ews/Obc)** **7000/- (For Sc/St/Pwd/Cw)**

4th Semester Fee –

SL.No.	Items	Fee
1	Computer Lab Fee	500
2	Extension Lecture	200
3	Tuition Fee	1000
Total Fee		**1700/- (For Gen/Ews/Obc)** **1200/- (For Sc/St/Pwd/Cw)**

Fee Structure for Acharya (Two Years) Classes for the Year 2025-26

1st & 3rd Semester Fee -

SL.No.	Items	Fee in Rupees
1	Admission processing fee	**200**
2	Admission Fee	**300**
3	Enrollment Fee	**100**
4	Library Caution Money	**400**
5	Identity Card	**100**
6	Student Fund	**400**
7	Magazine Fee	**100**
8	Library Utility Fee	**200**
9	Sports Fee	**100**
10	Various Activities, Art/Craft Fee	**200**
11	Tuition Fee	**1500**
Total Fee	**For GEN/EWS/OBC**	**3600**
	For SC/ST/PWD/CW	2850

2nd & 4th Semester Fee –

SL.No.	Items	Fee in Rupees
1	Library Utility Fee	**200**
2	Sports Fee	**100**
3	Various Activities, Art/Craft Fee	**200**
4	Tuition Fee	**1500**
Total Fee	**For GEN/EWS/OBC**	**2000**
	For SC/ST/PWD/CW	**1250**

वर्ष 2025-26 के लिए एम-एससी योग विज्ञान (दो वर्ष) कक्षाओं के लिए शुल्क संरचना

1st & 3rd Semester Fee -

SL.No.	Items	Fee in Rupees
1	Admission processing fee	**200**
2	Admission Fee	**2000**
3	Enrollment Fee	**1000**
4	Library Caution Money	**800**
5	Identity Card	**100**
6	Student Fund	**800**
7	Magazine Fee	**100**
8	Library Utility Fee	**400**
9	Sports Fee	**100**
10	Various Activities, Art/Craft Fee	**2000**
11	Tuition Fee	**20000**
Total Fee	**For GEN/EWS/OBC**	**27500**
	For SC/ST/PWD/CW	**17500**

2nd & 4th Semester Fee –

SL.No.	Items	Fee in Rupees
1	Library Utility Fee	**400**
2	Sports Fee	**100**
3	Various Activities, Art/Craft Fee	**2000**
4	Tuition Fee	**20000**
Total Fee	**For GEN/EWS/OBC**	**22500**
	For SC/ST/PWD/CW	**12500**

वर्ष 2025-26 के लिए शिक्षाचार्य (दो वर्ष) कक्षाओं के लिए शुल्क संरचना

1st Semester Fee –

SL.No.	Items	Fee
1	Admission Fee	300
2	Enrollment Fee	100
3	Library Caution Money	400
4	Identity Card	100
5	Student Fund	400
6	Magazine Fee	500
7	Library Utility Fee	300
8	Sports Fee	200
9	Various Activities, Art/Craft Fee	2700
10	Teaching Kit	800
	Seminar	600
	Internship	700
11	Computer Lab Fee	300
12	Extension Lecture	300
13	Tuition Fee	1500
Total Fee		**9200/- (For Gen/Ews/Obc)** **8450/- (For Sc/St/Pwd/Cw)**

2nd Semester Fee –

SL.No.	Items	Fee
1	Computer Lab Fee	300
2	Extension Lecture	300
3	Tuition Fee	1500
Total Fee		**2100/- (For Gen/Ews/Obc)** **1350/- (For Sc/St/Pwd/Cw)**

3rd Semester Fee -

SL.No.	Items	Fee
1	Admission Fee	300
2	Enrollment Fee	100
3	Library Caution Money	400
4	Identity Card	100
5	Student Fund	400
6	Magazine Fee	500
7	Library Utility Fee	300
8	Sports Fee	200

9	Various Activities, Art/Craft Fee	2700
10	Teaching Kit	800
	Seminar	600
	Internship	700
11	Computer Lab Fee	300
12	Extension Lecture	300
13	Tuition Fee	1500
Total Fee		**9200/- (For Gen/Ews/Obc)** **8450/- (For Sc/St/Pwd/Cw)**

4th Semester Fee -

SL.No.	Items	Fee
1	Computer Lab Fee	300
2	Extension Lecture	300
3	Tuition Fee	1500
Total Fee		**2100/- (For Gen/Ews/Obc)** **1350/- (For Sc/St/Pwd/Cw)**

वर्ष 2025-26 के लिए ITEP (दो वर्ष) कक्षाओं के लिए शुल्क संरचना

1st Semester Fee –

SL.No.	Items	Odd Semester Fee	Even Semester Fee
1.	Admission processing fee	200	0
2.	Admission Fee	300	0
3.	Enrollment Fee	100	0
4.	Development Fee	0	0
5.	Library Caution Money	400	0
6.	Identity Card	100	0
7.	Student Fund Fee	400	0
8.	Magazine Fee	200	0
9.	Library Utility Fee	400	0
10.	Sports Fee	200	0
11.	Various Activities, Art/Craft Fee	7000	0
12.	Legal Research & Moot Court Fee	0	0
13.	Diksharambh	2000	0
14.	Vidyashakhiy Magazine	100	0
15.	ICT	300	0
16.	Special Lecture	500	0
17.	Teaching Aid	1000	0

18.	School Development	3000	0
19.	Seminar/SangoshthiFee	0	0
20.	Internship	0	0
21.	Tuition Fee	2000	0
Total Admission Fee		**18200/- (For Gen/Ews/Obc)**	**0**
Total Admission Fee		**17200/- (For Sc/ST/Pwd/Cw)**	**0**

वर्ष 2025-26 के लिए LLB (तीन वर्ष) कक्षाओं के लिए शुल्क संरचना

1st Semester Fee –

SL.No.	Items	Odd Semester Fee	Even Semester Fee
1.	Admission processing fee	200	0
2.	Admission Fee	300	0
3.	Enrollment Fee	100	0
4.	Development Fee	0	0
5.	Library Caution Money	400	0
6.	Identity Card	100	0
7.	Student Fund Fee	400	0
8.	Magazine Fee	500	0
9.	Library Utility Fee	300	200
10.	Sports Fee	200	100
11.	Various Activities, Art/Craft Fee	500	200
12.	Legal Research & Moot Court Fee	200	0
13.	Diksharambh	0	0
14.	Vidyashakhiy Magazine	0	0
15.	ICT	0	0
16.	Special Lecture	0	0
17.	Teaching Aid	0	0
18.	School Development	0	0
19.	Seminar/SangoshthiFee	0	0
20.	Internship	0	0
21.	Tuition Fee	10000	10000
Total Admission Fee		**13200/- (For Gen/Ews/Obc)**	**10700**
Total Admission Fee		**8200/- (For Sc/ST/Pwd/Cw)**	**5700**

वर्ष 2025-26 के लिए B.A. Civil Services (चार वर्ष) कक्षाओं के लिए शुल्क संरचना

1st Semester Fee –

SL.No.	Items	Odd Semester Fee	Even Semester Fee
1.	Admission processing fee	200	0

2.	Admission Fee	300	0
3.	Enrollment Fee	100	0
4.	Development Fee	2500	2500
5.	Library Caution Money	500	0
6.	Identity Card	100	0
7.	Student Fund Fee	500	0
8.	Magazine Fee	500	0
9.	Library Utility Fee	1000	1000
10.	Sports Fee	0	0
11.	Various Activities, Art/Craft Fee	500	500
12.	Legal Research & Moot Court Fee	0	0
13.	Diksharambh	0	0
14.	Vidyashakhiy Magazine	0	0
15.	ICT	0	0
16.	Special Lecture	0	0
17.	Teaching Aid	0	0
18.	School Development	0	0
19.	Seminar/SangoshthiFee	0	0
20.	Internship	0	0
21.	Tuition Fee	24500	24500
Total Admission Fee		**30700/- (For Gen/Ews/Obc)**	**28500**
Total Admission Fee		**18450/- (For Sc/ST/Pwd/Cw)**	**16250**

प्रवेश शुल्क वापसी नीति

शुल्क वापसी और मूल प्रमाण पत्र न रखने के संबंध में यूजीसी की अधिसूचना के 2018 अनुसार, यदि कोई छात्र उस अध्ययन कार्यक्रम से प्रवेश निरस्त करना चाहता है जिसमें वह नामांकित है, तो शुल्क वापसी के लिए निम्नलिखित संरचना लागू हो सकती है-

क्र.	**वापसी शुल्क का (प्रतिशत)**	**वह समय जब सीएसयू में प्रवेश वापसी की सूचना प्राप्त होती है**
1	100%	प्रवेश की औपचारिक रूप से अधिसूचित अन्तिम तिथि से 15 दिन या उससे पहले
2	90%	प्रवेश की औपचारिक रूप से अधिसूचित अन्तिम तिथि से 15 दिन या अधिक पहले
3	80%	प्रवेश की औपचारिक रूप से अधिसूचित अंतिम तिथि के 15 दिन या कम बाद
4	50%	प्रवेश की औपचारिक रूप से अधिसूचित अंतिम तिथि के 15 दिन बाद तथा 30 दिन से पहले
5	00%	प्रवेश की औपचारिक रूप से अधिसूचित अंतिम तिथि के 30 दिन के बाद

कॉशन मनी-

i. यदि कोई अभ्यर्थी पाठ्यक्रम पूरा किए बिना सत्र के बीच में ही संस्थान छोड़ देता है, तो उसके द्वारा जमा की गई कोई भी फीस, सुरक्षित राशि को छोड़कर, उसे वापस नहीं की जाएगी।

ii. अमानत राशि (कॉशन मनी) परिणाम घोषित होने के बाद अन्तिम अदेय प्रमाण पत्र (No Dues) प्रस्तुत करने के बाद बैंक खाते में निर्गत की जाएगी। यदि कोई छात्र सत्र के दौरान अपना प्रवेश रद्द करता है तो नियमानुसार कॉशन मनी को वापस किया जा सकता है।

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के समस्त अधिष्ठाता विद्यास्थानों के अधिष्ठाताओं की सूची

क्रम.	**अधिष्ठाता**	**विद्यास्थान**
1.	प्रो. बनमाली बिस्वाल	वेद-वेदांग एवं वैदिक विज्ञान अधिष्ठाता, श्री सदाशिव परिसर, पुरी
2.	प्रो. पी.वी.बी. सुब्रह्मण्यम	यौगिक विज्ञान एवं समग्र स्वास्थ्य पद्धतियों के अधिष्ठाता, श्री रघुनाथ कीर्ति परिसर, देवप्रयाग
3.	प्रो. ललित कुमार साहू	शास्त्रीय ज्ञान प्रणाली अधिष्ठाता, श्री सदाशिव परिसर, पुरी
4.	प्रो. सुदेश कुमार शर्मा	समकालीन ज्ञान प्रणाली एवं मानविकी अधिष्ठाता, जयपुर परिसर, जयपुर
5.	प्रो. लोकमान्य मिश्रा	शिक्षाशास्त्र (शिक्षा) एवं कौशल प्रशिक्षण (कौशल) अधिष्ठाता, लखनऊ परिसर, लखनऊ
6.	प्रो. सर्व नारायण झा	बहुविषयक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अधिष्ठाता, लखनऊ परिसर, लखनऊ
7.	प्रो. ललित कुमार त्रिपाठी	अनुसंधान अधिष्ठाता, गंगानाथ झा परिसर, प्रयागराज
8.	प्रो. रमाकांत पांडे	भाषा अधिष्ठाता, भोपाल परिसर, भोपाल
9.	प्रो. सत्यम कुमारी	दर्शन अधिष्ठाता, वेदव्यास परिसर, बलहार
10.	प्रो. मदन मोहन झा	शैक्षणिक मामले एवं संकाय अधिष्ठाता, छात्र कल्याण

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के समस्त विद्याशाखा अध्यक्षों की सूची

क्रम.	**विभागाध्यक्ष**	**विद्याशाखा**
1.	प्रो. कमलेश कुमार जैन	जैन दर्शन एवं प्राकृत विभाग, जयपुर परिसर, जयपुर
2.	प्रो. वाई.एस. रमेश	शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा, जयपुर परिसर, जयपुर
3.	प्रो. श्रीधर मिश्र	व्याकरण शास्त्र, विद्याशाखा, श्री रणवीर परिसर, जम्मू
4.	प्रो. जनार्दन प्रसाद पांडे	साहित्य विद्याशाखा गंगानाथ झा परिसर, प्रयागराज
5.	प्रो. वेंकटरमण भट्ट	मीमांसा विद्याशाखा , श्री राजीव गांधी परिसर, श्रृंगेरी
6.	प्रो. रामकृष्ण पाण्डे 'परमहंस'	धर्मशास्त्र विद्याशाखा, गंगानाथ झा परिसर, प्रयागराज
7.	प्रो. ईश्वर भट्ट	ज्योतिष शास्त्र विद्याशाखा, जयपुर परिसर, जयपुर
8.	प्रो. (श्रीमती) गौर प्रिया दास	दर्शन विद्याशाखा, श्री सदाशिव परिसर, पुरी
9.	प्रो. के.ई. मधुसूदन	न्याय विद्याशाखा, गुरुवायूर परिसर, केरल
10.	प्रो. मनोज कुमार मिश्र	वेद विद्याशाखा, गंगानाथ झा परिसर, प्रयागराज
11.	प्रो. प्रतिभा आर.	वेदांत विद्याशाखा, गुरुवायूर परिसर, केरल
12.	प्रो. अर्चना दुबे	भारतीय भाषा विद्याशाखा, भोपाल परिसर, भोपाल
13.	प्रो. गुरुचरण नेगी	बौद्ध दर्शन एवं पाली विद्याशाखा, लखनऊ परिसर, लखनऊ
14.	प्रो. सूर्यनारायण भट्ट	वेदांग एवं वेद भाष्य विद्याशाखा, राजीव गांधी परिसर, श्रृंगेरी
15.	प्रो. मखलेश कुमार	पुराणेतिहास विद्याशाखा श्री सदाशिव परिसर, पुरी
16.	डॉ. अपराजिता मिश्रा	मौसिप्टोलॉजी एवं पेलोग्राफी विद्याशाखा, गंगानाथ झा परिसर, प्रयागराज
17.	डॉ. अशोक कुमार मीना	सांख्य योग दर्शन विद्याशाखा, श्री सदाशिव परिसर, पुरी
18.	डॉ. जगन्नाथ झा	संयोजक, सामाजिक विज्ञान विद्याशाखा, मुख्यालय, नई दिल्ली
19.	डॉ. एम.के. शीबा	संयोजक, अंग्रेजी विद्याशाखा, गुरूवायूर परिसर, केरल

गंगानाथ झा परिसर

आज़ाद पार्क, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश – 211001

Web: www.csu-prayagraj.res.in,

Email: director-prayagraj[at]csu[dot]co[dot]in, Ph:0532-2460957

परिसर निदेशक - प्रो. ललित कुमार त्रिपाठी **सहनिदेशक - प्रो. देवदत्त सरोदे**

उत्तरप्रदेश के पूर्व में इलाहाबाद स्थित श्री गंगानाथ झा शोध संस्थान को **1 अप्रैल, 1971** को राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान ने अधिग्रहित किया था। वर्तमान में यह **गंगानाथ झा परिसर** के नाम से सुविख्यात है। यह विश्वविद्यालय **उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले** में स्थित तथा 1.5 एकड़ भूमि में विस्तारित एक समृद्ध भवन और समृद्ध शोध केन्द्र के रूप प्रतिस्थापित है। इस परिसर को विश्वविद्यालय ने एक शोध केन्द्र के रूप में स्थापित किया है, जो विशेष रूप से संस्कृत साहित्य के विभिन्न विषयों पर शोध कार्य के लिए समर्पित है। इसका बृहद् पुस्तकालय और पांडुलिपि अनुभाग केवल शोध छात्रों के लिए ही नहीं अपितु संस्कृत और प्राचीन भारतीय संस्कृति के जिज्ञासुओं को भी आहूत करता है।

MA Sanskrit प्रथम सत्रार्द्ध में उपलब्ध स्थान एवं विषय विवरण

प्रवेशार्थ स्थान	DSCC
110	आई.के.एस

श्री सदाशिव परिसर

पुरी, उड़ीसा – 752001

Web: www.csu-puri.edu.in,

Email: director-puri[at]csu[dot]co[dot]in, Phone: 06752-223439

परिसर निदेशक - प्रो. प्रभात कुमार महापात्र **सहनिदेशक - प्रो. विजय पाल कछवाह**

श्री सदाशिव परिसर पूर्ववर्ती सदाशिव संस्कृत महाविद्यालय, पुरी, जो पारम्परिक पद्धति से संस्कृत के अध्ययन में अपनी दीर्घकालिक भागीदारी के लिए विख्यात था। जिसको **15 अगस्त, 1971** को राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली द्वारा अपने अधीन लिया गया। वर्तमान में यह **श्री सदाशिव परिसर**, **पुरी** के नाम से सुप्रसिद्ध है। यह परिसर **उड़ीसा प्रदेश के पुरी**, भगवान जगन्नाथ के धाम में अवस्थित है। इस परिसर में **प्राकृत अनुसन्धान केन्द्र** एक उत्कृष्ट केन्द्र के रुप में संचालित है। यह परिसर 15.30 एकड़ भूमि पर स्थित है, जिस पर लगभग 8338 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में आकर्षक भवनों के साथ एक पुस्तकालय और सभागार भवन भी निर्मित है। परिसर को लगभग 12 एकड़ भूमि और अतिरिक्त आवंटित की गयी है, जिस पर स्टेडियम, पुरुष छात्रावास एवं जिम्नेजियम का निर्माण प्रस्तावित है।

प्राक्शास्त्री प्रथम सत्रार्द्ध में उपलब्ध स्थान

प्रवेशार्थ स्थान - 121

शास्त्री प्रथम सत्रार्द्ध में उपलब्ध स्थान एवं विषय विवरण

प्रवेशार्थ स्थान	DSCC	DSE	GE	AECC 1
11	वेद	वेद	वेद, साहित्य, ज्योतिष, व्याकरण, दर्शन, धर्मशास्त्र, अद्वैतवेदान्त, न्याय, हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास	संस्कृत-भाषा-दक्षता
33	साहित्य	साहित्य		**AECC 2**
11	ज्योतिष	ज्योतिष		अंग्रेजी-भाषा-दक्षता
22	व्याकरण	व्याकरण		**AEEC 1**
11	दर्शन	दर्शन		सङ्गणक-विज्ञानम्
22	धर्मशास्त्र	धर्मशास्त्र		
11	अद्वैतवेदान्त	अद्वैतवेदान्त		
11	न्याय	न्याय		

शास्त्री प्रतिष्ठा प्रथम सत्रार्द्ध में उपलब्ध स्थान एवं विषय विवरण

प्रवेशार्थ स्थान	DSCC	DSE		AECC 1
11	सांख्ययोग	सांख्ययोग		संस्कृत-भाषा-दक्षता
				AECC 2
				अंग्रेजी-भाषा-दक्षता
				AEEC 1
				सङ्गणक-विज्ञानम्

आचार्य प्रथम सत्रार्द्ध के अन्तर्गत उपलब्ध स्थान एवं विषय विवरण

प्रवेशार्थ स्थान	DSCC
44	साहित्य

22	ज्योतिष
33	व्याकरण
44	दर्शन
44	धर्मशास्त्र
22	अद्वैतवेदान्त
22	न्याय
33	सांख्ययोग
33	पुराणेतिहास

शिक्षाशास्त्री प्रथम सत्रार्द्ध में उपलब्ध स्थान

प्रवेशार्थ स्थान - 110

शिक्षाचार्य प्रथम सत्रार्द्ध में उपलब्ध स्थान

प्रवेशार्थ स्थान - 50

उपर्युक्त सारणी में ध्यातव्य है कि छात्र द्वारा DSCC वर्ग में चयनित विषय को छोड़कर DSC वर्ग का ही विषय चयन करना अनिवार्य है।

परिसर में उपलब्ध संसाधन	**अन्य शैक्षणिक गतिविधियाँ**
1. प्रशासनिक भवन	1. ज्योतिष प्रयोगशाला
2. शैक्षणिक भवन	2. पौर्णमासी - वार्षिकी पत्रिका
3. पुस्तकालय	3. सदाशिवसन्देश त्रैमासिकी वार्त्ता पत्रिका
4. पुरुष/महिला छात्रावास	4. विभागीय पत्रिकाएँ
5. संगोष्ठी कक्ष /सभागार	5. जगन्नाथ विश्वकोश परियोजना
6. क्रीडाङ्गण	
7. कर्मचारी आवास	

श्री रणबीर परिसर

कोट भलवाल, जम्मू – 181122

Web : www.csu-jammu.edu.in,
Email : director-jammu[at]csu[dot]co[dot]in,
Phone : 0191-2623533, 2623090

परिसर निदेशक - प्रो. श्रीधर मिश्र **सहनिदेशक - प्रो. सतीश कुमार कपूर**

जम्मू और कश्मीर के महाराजा श्री रणबीर सिंह द्वारा स्थापित तत्कालीन श्री रघुनाथ संस्कृत महाविद्यालय को **1 अप्रैल, 1971** को संस्थान द्वारा एक घटक विद्यापीठ के रूप में लिया गया और इसका नाम श्री रणबीर केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ रखा गया। संस्थान को मानद विश्वविद्यालय घोषित किए जाने पर विद्यापीठ का नाम बदलकर **श्री रणबीर परिसर** कर दिया गया। यह विश्वविद्यालय **कोट भलवाल, जम्मू (जम्मू-कश्मीर) प्रदेश** में स्थित है। परिसर में 8472 वर्ग मीटर के निर्मित क्षेत्र में एक समृद्ध पुस्तकालय है और इसके नाम पर 25 प्रकाशित रचनाएँ हैं। इस पुस्तकालय में 39063 पुस्तकों का विशाल संग्रह है, जिनमें से 23269 सामान्य पुस्तकें और 12552 पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध हैं, इसके अलावा ई-ग्रंथालय और शोध पत्रिकाएँ भी विद्यमान हैं।

प्राक्शास्त्री प्रथम सत्रार्द्ध में उपलब्ध स्थान

प्रवेशार्थ स्थान - 110

शास्त्री प्रथम सत्रार्द्ध में उपलब्ध विषय एवं पत्रों का विवरण

<table>
<tr><th>प्रवेशार्थ स्थान</th><th>DSCC</th><th>DSE</th><th>GE</th><th>AECC 1</th></tr>
<tr><td>44</td><td>वेद</td><td rowspan="6">वेद
साहित्य
फलित ज्योतिष
सिद्धान्त ज्योतिष
व्याकरण
दर्शन</td><td rowspan="6">हिन्दी साहित्य,
अंग्रेजी साहित्य,
राजनीतिविज्ञान
संगणक, इतिहास,
डोगरी</td><td>संस्कृत-भाषा-दक्षता</td></tr>
<tr><td>22</td><td>साहित्य</td><td>AECC 2</td></tr>
<tr><td>44</td><td>फलित ज्योतिष</td><td>हिन्दी-भाषा-दक्षता</td></tr>
<tr><td>11</td><td>सिद्धान्त ज्योतिष</td><td>AEEC 1</td></tr>
<tr><td>11</td><td>व्याकरण</td><td rowspan="2">सङ्गणक-विज्ञानम्</td></tr>
<tr><td>11</td><td>दर्शन</td></tr>
</table>

आचार्य प्रथम सत्रार्द्ध में उपलब्ध विषय एवं पत्रों का विवरण

प्रवेशार्थ स्थान	DSCC
33	वेद
11	साहित्य
22	फलित ज्योतिष
11	सिद्धान्त ज्योतिष
11	व्याकरण
11	कश्मीर शैव दर्शन
11	दर्शन

शिक्षाशास्त्री प्रथम सत्रार्द्ध में उपलब्ध स्थान

प्रवेशार्थ स्थान - 110

उपर्युक्त सारणी में ध्यातव्य है कि छात्र द्वारा DSCC वर्ग में विषय चयनित विषय को छोड़कर DSC वर्ग से ही विषय चयन करना अनिवार्य है।

परिसर में उपलब्ध संसाधन	**अन्य शैक्षणिक गतिविधियाँ**
1. शैक्षणिक भवन	1. श्री वैष्णवी - वार्षिक पत्रिका
2. कार्यालय	2. शिक्षामृतम् - शिक्षाविभाग की वार्षिक पत्रिका
3. पुस्तकालय	3. कश्मीर शैवदर्शन एवं सप्त सिन्धु संस्कृति अध्ययन केन्द्र
4. महिला छात्रावास	4. राष्ट्रीय सेवा योजना
5. व्यायामशाला	5. वेधशाला
6. पुरुष छात्रावास	6. शिक्षार्थी सहायता केन्द्र, इग्नू
7. कर्मचारी आवास	
8. क्रीडाङ्गण	
9. वाणी विलास सभागार	

राजीव गांधी परिसर

मेणसे, भारती नगर पोस्ट, श्रृंगेरी, कर्नाटक – 577139

Web : www.csu-sringeri.edu.in, **Email :**
director-sringeri[at]csu[dot]co[dot]in, **Phone :** 08265-250258

परिसर निदेशक - प्रो. हंसधर झा **सहनिदेशक - प्रो. चन्द्रकान्त भट्ट**

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय (राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान) ने कर्नाटक के श्रृंगेरी में राजीव गांधी परिसर की स्थापना की। इस पवित्र स्थान पर परिसर और परिसर का उद्घाटन भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति महामहिम आर.वेंकटरमण ने 13 जनवरी 1992 को दक्षिणाम्नाय श्रृंगेरी श्री शारदापीठ के जगद्गुरु श्री श्री श्री भारतीतीर्थ महास्वामीजी के दिव्य आशीर्वाद से किया था। संस्थान ने श्रृंगेरी में परिसर के विकास के लिए कर्नाटक राज्य सरकार से 10 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया है। वर्तमान में यह परिसर प्राक्-शास्त्री, शास्त्री, आचार्य, शिक्षा-शास्त्री और विद्यावारिधि पाठ्यक्रम संचालित करता है, जो क्रमशः इंटरमीडिएट, बी.ए., एम.ए., बी.एड. और पीएच.डी. के समकक्ष हैं और विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। इन पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त, इस परिसर में छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए इतिहास, अंग्रेजी, कन्नड़, हिंदी, कंप्यूटर शिक्षा, योग और पर्यावरण शिक्षा जैसे आधुनिक विषयों का अध्ययन भी होता है। परिसर द्वारा विविध विषयों में डिप्लोमा एवं प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रम भी संचालित किये जा रहे हैं। परिसर के पुस्तकालय में अच्छी संख्या में पुस्तकों का संग्रह है। जिसमें विभिन्न लिपियों और क्षेत्रीय भाषाओं में लिखे गए प्राचीन शास्त्रों की 164 दुर्लभ पांडुलिपियाँ भी हैं।

प्राक्शास्त्री प्रथम सत्रार्द्ध में उपलब्ध स्थान

प्रवेशार्थ स्थान - 66

शास्त्री प्रथम सत्रार्द्ध में उपलब्ध स्थान एवं विषय विवरण

प्रवेशार्थ स्थान	DSCC	DSE	GE	AECC 1
11	अद्वैतवेदान्त	अद्वैतवेदान्त साहित्य व्याकरण ज्योतिष मीमांसा वेदभाष्य	हिन्दी साहित्य, कन्नड़ साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, सङ्गणक विज्ञान, इतिहास, मीमांसा, व्याकरण, न्याय, ज्योतिष, वेदभाष्य, सांख्ययोग, अद्वैतवेदान्त	संस्कृत-भाषा-दक्षता
11	साहित्य			**AECC 2**
11	व्याकरण			अंग्रेजी-भाषा-दक्षता
11	ज्योतिष			**AEEC 1**
11	मीमांसा			सङ्गणक-विज्ञानम्
11	वेदभाष्य			

शास्त्री प्रतिष्ठा प्रथम सत्रार्द्ध में उपलब्ध स्थान एवं विषय विवरण

प्रवेशार्थ स्थान	DSCC	DSE	GE	AECC 1
11	न्याय	न्याय साहित्य व्याकरण ज्योतिष मीमांसा	हिन्दी साहित्य, कन्नड़ साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, सङ्गणकविज्ञान, इतिहास, मीमांसा व्याकरण, न्याय ज्योतिष, वेदभाष्य सांख्ययोग, अद्वैतवेदान्त	संस्कृत-भाषा-दक्षता
11	साहित्य			**AECC 2**
11	व्याकरण			अंग्रेजी-भाषा-दक्षता
11	ज्योतिष			**AEEC 1**
11	मीमांसा			सङ्गणक-विज्ञानम्

आचार्य प्रथम सत्रार्द्ध में उपलब्ध स्थान एवं विषय विवरण

प्रवेशार्थ स्थान	**DSCC**
11	अद्वैतवेदान्त
11	साहित्य
11	व्याकरण
11	न्याय
11	ज्योतिष
11	वेदभाष्य

शिक्षाशास्त्री प्रथम सत्रार्द्ध में उपलब्ध स्थान

प्रवेशार्थ स्थान - 55

उपर्युक्त सारणी में ध्यातव्य है कि छात्र द्वारा DSCC वर्ग में विषय चयनित विषय को छोड़कर DSC वर्ग से ही विषय चयन करना अनिवार्य है।

परिसर में उपलब्ध संसाधन	**अन्य शैक्षणिक गतिविधियाँ**
1.मुख्य भवन 2.संगोष्ठी कक्ष 3.सभागार 4.पुस्तकालय 5.अतिथि भवन 6.पुरुष छात्रावास 7.महिला छात्रावास 8.व्यायामशाला 9.कर्मचारी आवास	1.शारदा - वार्षिक पत्रिका 2.श्री राजीवगांधी इण्टरनेशनल मेमोरियल लेक्चर 3.श्री श्री भारतीतीर्थ महास्वामी शास्त्रार्थ सभा 4.वाक्यार्थ परिषद 5.श्री शारदा विशिष्टव्याख्यानमाला 6.स्पर्धिष्णुपरिषद् 7.वाग्वर्धिनी परिषद्

जयपुर परिसर

गोपालपुरा बाईपास, त्रिवेणी नगर, जयपुर, राजस्थान - 302018

Web : www.csu-jaipur.edu.in,

Email : director-jaipur[at]csu[dot]co[dot]in, **Phone**-0141-2761115, 2761236

परिसर निदेशक - प्रो. सुदेश कुमार शर्मा **सहनिदेशक - प्रो. वाई. एस. रमेश**

परिचय

राजस्थान की राजधानी, गुलाबी नगर जयपुर में स्थित केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर परिसर की स्थापना 13 मई 1983 को 'केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ' के रूप में हुई थी। यह परिसर प्रारम्भ में साहित्य, व्याकरण, धर्मशास्त्र, जैन दर्शन, प्राकृत अध्ययन केन्द्र एवं शिक्षाशास्त्र विभागों के साथ आरम्भ हुआ। कालान्तर में ज्योतिष, सर्वदर्शन, वेद, योग एवं आयुर्वेद साहित्य जैसे आधुनिक और परम्परागत विषयों की शिक्षा से समृद्ध हुआ।

जयपुर, केवल ऐतिहासिक धरोहरों और राजसी महलों की नगरी ही नहीं है, अपितु संस्कृत साधना और आध्यात्मिक चेतना का भी प्रमुख केन्द्र है। 'उत्तर काशी' के रूप में प्रसिद्ध जयपुर, उत्तर भारत में संस्कृत, वेद, दर्शन और संस्कृति के संरक्षण व सम्वर्धन का प्रमुख केन्द्र है। यहाँ का वातावरण विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संपन्नता का भी अद्भुत अनुभव कराता है।

राजस्थान की लोक परम्पराएँ, कला, स्थापत्य, साहित्य एवं लोक-संस्कृति यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थियों को भारतीय संस्कृति की जीवन्त अनुभूति कराती हैं। यह परिसर आधुनिक सुविधाओं के साथ परम्परा और आधुनिकता का अनुपम संगम प्रस्तुत करता है। जयपुर परिसर में सत्र 2024-25 से एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम (ITEP) एवं भारतीय विधिशास्त्र (LLB ऑनर्स) नवीन संचालित पाठ्यक्रम बी.ए. बी.एड. है।

अत्याधुनिक सङ्गणक प्रयोगशाला, नवीन तकनीक से युक्त अध्ययन कक्ष, योग एवं आयुर्वेद केन्द्र, ग्रन्थालय, अनुसन्धान केन्द्र, दूरस्थ शिक्षा केन्द्र, सुसज्जित जिम्नेज़ियम एवं बहूद्देश्य छात्र-छात्राओं के लिए पृथक् छात्रावास, शिक्षक एवं कर्मचारियों के लिए आवास व्यवस्था तथा 7.27 एकड़ भूमि में विस्तारित एक समृद्ध भवन के रूप में प्रतिस्थापित है।

प्राक्शास्त्री प्रथम सत्रार्द्ध में उपलब्ध स्थान

प्रवेशार्थ स्थान - 88

शास्त्री प्रथम सत्रार्द्ध में उपलब्ध स्थान एवं विषय विवरण

प्रवेशार्थ स्थान	DSCC	DSE	GE	AECC 1
22	धर्मशास्त्र	साहित्य	साहित्य, ज्योतिष,	संस्कृत-भाषा-दक्षता
11	दर्शन	ज्योतिष	व्याकरण, वेद, दर्शन,	**AECC 2**
11	जैनदर्शन	व्याकरण	जैनदर्शन, धर्मशास्त्र,	अंग्रेजी -भाषा-दक्षता
22	ज्योतिष	वेद	हिन्दी साहित्य,	**AEEC 1**
44	साहित्य	दर्शन	इतिहास, अंग्रेजी	सङ्गणक-विज्ञानम्
66	व्याकरण	जैनदर्शन धर्मशास्त्र	साहित्य, राजनीति विज्ञान	

शास्त्री प्रतिष्ठा प्रथम सत्रार्द्ध में उपलब्ध स्थान एवं विषय विवरण

प्रवेशार्थ स्थान	DSCC	DSC	GE	AECC 1
11	साहित्य	साहित्य	साहित्य, ज्योतिष,	संस्कृत-भाषा-दक्षता

11	व्याकरण	ज्योतिष व्याकरण वेद दर्शन जैनदर्शन धर्मशास्त्र	व्याकरण, वेद, दर्शन, जैनदर्शन, धर्मशास्त्र, हिन्दी साहित्य, इतिहास, अंग्रेजी साहित्य, राजनीति विज्ञान	**AECC 2**
11	कर्मकाण्ड पौरोहित्य			हिन्दी साहित्य-भाषा-दक्षता

आचार्य प्रथम सत्रार्द्ध में उपलब्ध स्थान एवं विषय विवरण

प्रवेशार्थ स्थान	DSCC
22	साहित्य
22	व्याकरण
11	प्राकृत
11	धर्मशास्त्र
11	दर्शन
11	जैनदर्शन
11	ज्योतिष
11	वेद

शिक्षाशास्त्री प्रथम सत्रार्द्ध में उपलब्ध स्थान

प्रवेशार्थ स्थान - 110

शिक्षाचार्य प्रथम सत्रार्द्ध में उपलब्ध स्थान

प्रवेशार्थ स्थान – 50

ITEP प्रथम सत्रार्द्ध में उपलब्ध स्थान

प्रवेशार्थ स्थान - 100

LLB प्रथम सत्रार्द्ध में उपलब्ध स्थान

प्रवेशार्थ स्थान - 100

उपर्युक्त सारणी में ध्यातव्य है कि छात्र द्वारा DSCC वर्ग में चयनित विषय को छोड़कर DSC वर्ग का ही विषय चयन करना अनिवार्य है।

परिसर में उपलब्ध संसाधन	अन्य शैक्षणिक गतिविधियाँ
1. मुख्य भवन 2. संगोष्ठी/सभागार कक्ष 3. स्मार्ट क्लास रूम 4. व्यायामशाला 5. पुस्तकालय 6. पुरुष/महिला छात्रावास 7. कर्मचारी आवास	01. ज्योतिष प्रयोगशाला 02. जयन्ती - वार्षिक पत्रिका 03. शिक्षासन्देशः - शिक्षाविभागीय पत्रिका 04. प्राकृत अध्ययन एवं शोध केन्द्र 05. राष्ट्रीय सेवा योजना 06. प्राध्यापक विकास केन्द्र 07. IQAC 08. पुस्तक विक्रय प्रकोष्ठ

गुरुवायूर परिसर

गुरुवायूर, पुरनट्टुकारा, त्रिशूर, केरल – 680551

Web : www.csu-guruvayoor.edu.in,

Email : director-thrissur[at]csu[dot]co[dot]in, **Phone:** 0487-2307208

परिसर निदेशक - प्रो. के. के. शैन्

सहनिदेशक - प्रो. आर. प्रतिभा

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय - गुरुवायूर परिसर, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन बहु परिसर संस्कृत विश्वविद्यालय है जो संस्कृत भाषा के माध्यम से संस्कृत सीखने की विभिन्न शाखाओं का प्रचार-प्रसार कर रहा है साथ ही आधुनिक विषय जैसे कम्प्यूटर विज्ञान, अंग्रेजी आदि पढ़ा रहा है। गुरुवायूर परिसर भारत के विभिन्न हिस्सों में कार्यरत बारह परिसरों में से एक है। गुरुवायूर परिसर 16-07-79 को गुरुवायूर के पास पवारट्टी में गुरुवायूर साहित्य दीपिका संस्कृत विद्यापीठ के अधिग्रहण के परिणामस्वरूप अस्तित्व में आया, जिसकी स्थापना स्वर्गीय श्री पी.टी. कुरीकोस मास्टर ने की थी। पूर्ववर्ती विद्यापीठ ने 1934 में मद्रास विश्वविद्यालय, 1958 में केरल विश्वविद्यालय और 1968 में कालीकट विश्वविद्यालय से सम्बद्धता के साथ स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर ज्ञान प्रदान करने वाले संस्कृत शिक्षण के केन्द्र के रूप में केरल राज्य के भीतर और बाहर ख्याति प्राप्त की थी। 7 मई, 2002 को, इसे राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, डीम्ड विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के परिसर के रूप में घोषित किया गया। पुरनटुकारा में यह परिसर केन्द्र चौदह एकड़ के विस्तार के साथ एक सुन्दर परिदृश्य पर स्थित है। इसमें मुख्य शैक्षणिक ब्लॉक, प्रशासनिक ब्लॉक, पुस्तकालय, बालक और बालिकाओं के छात्रावास, गेस्ट हाउस, ऑडिटोरियम, खेल का मैदान, कार्यात्मक भवन और स्टाफ क्वार्टर शामिल हैं। इस केन्द्र का नाम बदलकर पी.टी. कुरियाकोस स्मृति भवन रखा गया है। एक मंजिला इमारत में दो बड़े हॉल, एक प्रशासनिक कक्ष और सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ अन्य दस कक्ष हैं। पी.टी. कुरियाकोस स्मृति भवन में तीन महीने की अवधि दीक्षा औपचारिक संस्कृत शिक्षा और संस्कृत के सीखने के पत्राचार पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। यह पांडुलिपि संग्रह के केन्द्र के रूप में भी कार्य कर रहा है।

प्राक्शास्त्री प्रथम सत्रार्द्ध में उपलब्ध स्थान

प्रवेशार्थ स्थान – 22

शास्त्री प्रथम सत्रार्द्ध में उपलब्ध स्थान एवं विषय विवरण

प्रवेशार्थ स्थान	DSCC	DSE	GE	AECC 1
11	अद्वैतवेदान्त	अद्वैतवेदान्त	हिन्दी साहित्य	संस्कृत-भाषा-दक्षता
11	साहित्य	साहित्य	मलयालम साहित्य	**AECC 2**
11	व्याकरण	व्याकरण	अंग्रेजी साहित्य,	अंग्रेजी -भाषा-दक्षता
11	न्याय	न्याय	इतिहास	**AEEC 1**
11	ज्योतिष	ज्योतिष	सङ्गणकविज्ञान	सङ्गणक-विज्ञानम्

आचार्य प्रथम सत्रार्द्ध में उपलब्ध स्थान एवं विषय विवरण

प्रवेशार्थ स्थान	DSCC
11	अद्वैतवेदान्त
22	साहित्य
11	व्याकरण
11	न्याय
11	ज्योतिष

शिक्षाशास्त्री प्रथम सत्रार्द्ध में उपलब्ध स्थान

प्रवेशार्थ स्थान - 55

ITEP प्रथम सत्रार्द्ध में उपलब्ध स्थान

प्रवेशार्थ स्थान - 100

उपर्युक्त सारणी में ध्यातव्य है कि छात्र द्वारा DSCC वर्ग में चयनित विषय को छोड़कर DSC वर्ग का ही विषय चयन करना अनिवार्य है।

परिसर में उपलब्ध संसाधन	**अन्य शैक्षणिक गतिविधियाँ**
01. शैक्षणिक भवन	1. गुरुदीपिका — वार्षिक पत्रिका
02. पुरुष छात्रावास	2. निबन्धमाला — वार्षिक शोधपत्रिका
03. महिला छात्रावास	3. विभागों की वार्षिक पत्रिकाएँ
04. व्यायामशाला	4. पी.टी. कुरियाकोस मास्टर अन्तर्राष्ट्रीय व्याख्यानमाला
05. कर्मचारी आवास	5. विक्रय प्रकोष्ठ
06. निदेशक आवास	6. प्राध्यापक विकास केन्द्र

लखनऊ परिसर

विशाल खंड-4, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश – 226010

Web :www.csu-lucknow.edu.in,

Email : director-lucknow[at]csu[dot]co[dot]in, **Phone :**0522-2393748

परिसर निदेशक - प्रो. सर्व नारायण झा **सहनिदेशक - प्रो. गुरुचरण सिंह नेगी**

यह परिसर **उत्तर प्रदेश** की राजधानी **लखनऊ** (लक्ष्मणपुर), विशाल खंड, गोमती नगर में अवस्थित है।, इसकी स्थापना वर्ष **1986** में हुई थी। यह 10 एकड़ भूमि पर स्थित है, यह लगभग 7964 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में निर्मित हैं। मुख्य भवन के अलावा, इस परिसर में 58 कमरों वाला बालकों का छात्रावास, 19 कमरों वाला बालिकाओं का छात्रावास और 9 यूनिट स्टाफ क्वार्टर भी हैं। यहाँ विद्यावारिधि (पीएचडी) आचार्य (पीजी), शास्त्री (यूजी) और प्राक् शास्त्री (इंटरमीडिएट) स्तरों पर व्याकरण, साहित्य, बौद्ध दर्शन, ज्योतिष, वेद में पाठ्यक्रम संचालित है। प्राक् शास्त्री और शास्त्री पाठ्यक्रमों में पारम्परिक विषयों के साथ-साथ हिंदी, हिन्दी साहित्य, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र और कम्प्यूटर शिक्षा जैसे आधुनिक विषय भी पढ़ाए जाते हैं। इस परिसर में व्यायामशाला के साथ एक विशाल खेल का मैदान है। परिसर में पारम्परिक और आधुनिक पुस्तकों के साथ पुस्तकालय की सुविधा है। शिक्षा-शास्त्र विभाग में शिक्षा मनोविज्ञान प्रयोगशाला आधुनिक मनोवैज्ञानिक परीक्षणों और उपकरणों से सुसज्जित है, शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला विभिन्न तकनीकी और मल्टीमीडिया उपकरणों से सुसज्जित है। इस परिसर में 2009-2010 से पाली अध्ययन केन्द्र संचालित है। पाली केन्द्र पाली, प्राकृत और भोट भाषाओं के विभिन्न प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम भी प्रदान करता है।

प्राक्शास्त्री प्रथम सत्रार्द्ध में उपलब्ध स्थान

प्रवेशार्थ स्थान – 55

शास्त्री प्रथम सत्रार्द्ध में उपलब्ध स्थान एवं विषय विवरण

प्रवेशार्थ स्थान	DSCC	DSE	GE	AECC 1
22	साहित्य	साहित्य	हिन्दी साहित्य	संस्कृत-भाषा-दक्षता
11	व्याकरण	व्याकरण	अर्थशास्त्र	**AECC 2**
11	ज्योतिष	ज्योतिष	राजनीति विज्ञान	अंग्रेजी -भाषा-दक्षता
11	बौद्धदर्शन	बौद्धदर्शन	अंग्रेजी साहित्य	**AEEC 1**
11	वेद कर्मकाण्ड पौरोहित्य	वेद कर्मकाण्ड पौरोहित्य	सङ्गणक-विज्ञान	सङ्गणक-विज्ञानम्

बी.ए. संस्कृत ऑनर्स एवं सिविल सर्विसेज

प्रवेशार्थ स्थान – 55

आचार्य प्रथम सत्रार्द्ध में उपलब्ध स्थान एवं विषय विवरण

प्रवेशार्थ स्थान	DSCC
11	साहित्य
11	व्याकरण
11	ज्योतिष
11	बौद्धदर्शन
11	वेद कर्मकाण्ड पौरोहित्य

शिक्षाशास्त्री प्रथम सत्रार्द्ध में उपलब्ध स्थान

प्रवेशार्थ स्थान – 55

उपर्युक्त सारणी में ध्यातव्य है कि छात्र द्वारा DSCC वर्ग में चयनित विषय को छोड़कर DSC वर्ग का ही विषय चयन करना अनिवार्य है।

परिसर में उपलब्ध संसाधन	अन्य शैक्षणिक गतिविधियाँ
01. मुख्य भवन	01. गोमती - वार्षिक पत्रिका
02. संगोष्ठी कक्ष	02. ज्ञानायनी - त्रैमासिक शोधपत्रिका
03. सभागार	03. साहित्य समाख्या - साहित्य
04. स्मार्ट क्लास रूम	04. विभागीय वार्षिक शोध - पत्रिका
05. व्यायामशाला	05. भास्करोदय - वार्षिक ज्योतिषशोधपत्रिका
06. पुस्तकालय	06. जगन्नाथपञ्चाङ्गम्
07. पुरुष छात्रावास	07. पालि अध्ययन व शोध केन्द्र
08. छात्रावास	08. षाण्मासिक प्रमाण - पत्रीय पाठ्यक्रम - पालि, प्राकृत एवं भोट भाषाओं हेतु
09. अधिकारी एव कर्मचारी आवास	09. पालि - प्राकृत - अनुशीलनम् शोध पत्रिका
	10. ज्योतिष परिचय पाठ्यक्रम

वेद व्यास परिसर

बलाहर, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश – 177108

Web : www.csu-balahar.edu.in,

Email : director-balahar[at]csu[dot]co[dot]in, **Phone :** 01970-245409

परिसर निदेशक - प्रो. सत्यम कुमारी **सहनिदेशक - प्रो. मञ्जूनाथ एस. जी.**

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, वेदव्यास परिसर, बलाहर, काँगड़ा हिमाचल प्रदेश की स्थापना 27 वर्ष पूर्व भारत की आजादी के स्वर्ण-जयन्ती के उपलक्ष्य में देवभूमि हिमाचल प्रदेश के कालीनाथ कालेश्वर महादेव के सन्निकट स्थापित करने हेतु विचार किया गया। चूँकि संस्कृत अध्ययन के लिये एक आध्यात्मिक स्थल अत्यन्त उपयुक्त माना जाता है। अतएव भारत सरकार ने 16 सितम्बर 1997 को केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ (शिक्षा मन्त्रालयाधीन) की स्थापना गरली (धरोहर ग्राम) ग्राम में की गई। इसके उद्घाटन समारोह के मुख्यातिथि केन्द्रीय शिक्षा राज्यमन्त्री श्रीमान् मुहीराम सैकिया थे। इन्हीं के करकमलों द्वारा विद्यापीठ का उद्घाटन हुआ। इस समारोह की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमन्त्री श्रीमान् वीरभद्र सिंह ने की। तत्कालीन शिक्षामन्त्री नारायण चन्द पाराशर के सौजन्य से भाद्रपद मास की पूर्णिमा को मंगलवार के दिन डॉ. कमलाकान्त मिश्र, तत्कालीन निदेशक, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नव देहली की गरिमामयी उपस्थित में यह कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर तत्कालीन उपायुक्त तथा पुलिस अधीक्षक काँगड़ा और कई गणमान्य अतिथि तथा ग्रामीण जन उपस्थित थे। गरली ग्राम जो कालेश्वर से 2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है, वहाँ तत्काल पठन-पाठन की व्यवस्था साहित्य, ज्योतिष, व्याकरण व आधुनिक विभागो के साथ सुचारू रूप से अग्रसर करने हेतु राजकीय उच्च कन्या विद्यालय, गरली में किराये पर तीन कमरे लिये गये। जिसकी व्यवस्था राज्य सरकार ने नाममात्र के किराये पर की थी और इस विद्यापीठ के लिये कालेश्वर में भूमि प्रदान की गई। इस विद्यापीठ के प्रथम प्राचार्य डॉ. हिन्द केसरी जी थे। अध्यापन निमित्त तीन अन्य आचार्य डॉ. रामलखन पाण्डेय, डॉ. हरिनारायण तिवारी, डॉ. देवी प्रसाद त्रिपाठी थे।

वर्तमान में परिसर में शिक्षाशास्त्र, साहित्य, ज्योतिष, व्याकरण, अद्वैत वेदान्त व आधुनिक विभागो के साथ कम्पयूटर लैब, क्रीड़ांगण, मुक्त व्यायामशाला, महिला छात्रावास व पुरूष छात्रावास तथा छात्रों के लिए परिसर बस की सुविधा उपलब्ध है।

प्राक्शास्त्री प्रथम सत्रार्द्ध में उपलब्ध स्थान

प्रवेशार्थ स्थान - 99

शास्त्री प्रथम सत्रार्द्ध में उपलब्ध स्थान एवं विषय विवरण

प्रवेशार्थ स्थान	DSCC	DSE	GE	AECC 1
22	अद्वैतवेदान्त	अद्वैतवेदान्त	हिन्दी साहित्य	संस्कृत-भाषा-दक्षता
88	साहित्य	साहित्य	अंग्रेजी साहित्य	**AECC 2**
55	ज्योतिष	ज्योतिष	संगणक विज्ञान	अंग्रेजी -भाषा-दक्षता
33	व्याकरण	व्याकरण	इतिहास	**AEEC 1**

आचार्य प्रथम सत्रार्द्ध में उपलब्ध स्थान एवं विषय विवरण

प्रवेशार्थ स्थान	DSCC
11	अद्वैतवेदान्त
33	साहित्य
33	ज्योतिष
11	व्याकरण

शिक्षाशास्त्री प्रथम सत्रार्द्ध में उपलब्ध स्थान

प्रवेशार्थ स्थान - 55

उपर्युक्त सारणी में ध्यातव्य है कि छात्र द्वारा DSCC वर्ग में विषय चयनित विषय को छोड़कर ही DSC वर्ग का विषय चयन करना अनिवार्य है।

परिसर में उपलब्ध संसाधन	**अन्य शैक्षणिक गतिविधियाँ**
1. मुख्य भवन 2. पुरुष छात्रावास 3. परिसरीय बस व्यवस्था 4. मंच, छात्र परामर्श केन्द्र, पर्यावरण क्लब 5. पुस्तकालय 6. महिला छात्रावास 7. राष्ट्रीय सेवा योजना	1. वेदविपाशा - वार्षिक पत्रिका 2. व्यासवाणी - परिसरसमाचार पत्रिका, व्याससन्देशः - शिक्षाशास्त्रविद्याशाखा (वार्षिक पत्रिका) 3. प्राची प्रज्ञा - आनलाईन संस्कृत पत्रिका, व्यासमञ्जरी शिक्षाशास्त्रविद्याशाखा (वार्षिक पत्रिका) 4. सरोजनी महिर्षी महिला अध्ययनकेन्द्र 5. ज्योतिष परियोजना 6. विभिन्न परिषद/क्लब - वाग्वर्धिनी 7. परिषद, सभी शास्त्रीय परिषदें 8. मीडिया क्लब, स्वास्थ्य क्लब, कलारंजनी 9. क्रीड़ा उत्कृष्टता केन्द्र

भोपाल परिसर

संस्कृत मार्ग, बागसेवनिया, भोपाल, मध्य प्रदेश – 462043

Web : www.csu-bhopal.edu.in,

Email : director-bhopal[at]csu[dot]co[dot]in, **Phone :** 0755-2418043

परिसर निदेशक - प्रो. रमाकान्त पाण्डेय **सहनिदेशक - प्रो. श्रीगोविन्द पाण्डेय**

मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में शिक्षा सत्र 2002-2003 से केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का भोपाल परिसर सञ्चालित है। भोपाल प्राचीनकाल से ही प्राकृतिक, बौद्धिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं राजनैतिक आदि विभिन्न सम्पदाओं से सम्पन्न रहा है। रामनवमी, बुधवार, दिनाङ्क 24.03.2010 को नव निर्मित मुख्यभवन का वत्सराज भवन नामकरण हुआ और उसी दिन से वत्सराज भवन में परिसर की सभी गतिविधियाँ प्रारम्भ हो गयी थी। इस समय वत्सराज मुख्यभवन के अन्तर्गत सभी कक्षाएँ, सभी प्रयोगशालाएँ, अनौपचारिक कक्षाएँ, विभागीय पुस्तकालय, नाट्यशास्त्र अनुसन्धान केन्द्र, सभा कक्ष और सर्वसाधन सम्पन्न सभागार, शोधकक्ष सुव्यवस्थित रूप में उपलब्ध हैं। इनके साथ ही परिसर में व्यवस्थित वररुचि ग्रन्थागार (केन्द्रीय पुस्तकालय) और दृश्य साधन सम्पन्न वातानुकूलित भवभूति प्रेक्षागार भी उपलब्ध है। उसमें अतिथि निवास कक्ष, शिक्षक कक्ष और विभागाध्यक्ष कक्ष आदि नियमानुसार प्रकल्पित हैं। परिसर में एक सुन्दर यज्ञशाला भी स्थापित है, जहाँ छात्र भारतीय संस्कृति से परिचित होते हैं।

इसके अतिरिक्त आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 333 छात्रों का पुरुष छात्रावास, 108 छात्राओं का महिला छात्रावास, अतिथि निवास, प्राचार्य एवं कर्मचारी आवास भी उपलब्ध हैं। परिसर में वर्तमान में साहित्य, व्याकरण, जैनदर्शन, ज्योतिष, शिक्षा, तथा आधुनिक विषयों सहित विद्याशाखा सञ्चालित हैं। प्राक्शास्त्री, शास्त्री, आचार्य, शिक्षाशास्त्री (B.Ed.), शिक्षाचार्य (M.Ed.), BA. B.Ed (ITEP) तथा विद्यावारिधि पाठ्यक्रम परिसर में गुणवत्तापूर्ण पद्धति से सञ्चालित किए जा रहे हैं। साथ ही अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण, वास्तु, ज्योतिष के प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रम सञ्चालित हो रहे हैं। इस प्रकार यह परिसर संस्कृत शिक्षा एवं भारतीय संस्कृति के विकास एवं प्रचार-प्रसार हेतु निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में अग्रसर है।

प्राक्शास्त्री प्रथम सत्रार्द्ध में उपलब्ध स्थान

प्रवेशार्थ स्थान - 55

शास्त्री प्रथम सत्रार्द्ध में उपलब्ध स्थान एवं विषय विवरण

प्रवेशार्थ स्थान	DSCC	DSE	GE	AECC 1
44	साहित्य	साहित्य	राजनीति विज्ञान	संस्कृत-भाषा-दक्षता
22	ज्योतिष	ज्योतिष	अंग्रेजी साहित्य,	**AECC 2**
22	व्याकरण	व्याकरण	ज्योतिष, व्याकरण,	अंग्रेजी-भाषा-दक्षता
11	दर्शन	दर्शन	दर्शन, हिन्दी साहित्य,	**AEEC 1**
22	वेद कर्मकाण्ड पौरोहित्य	जैनदर्शन	इतिहास,	सङ्गणक-विज्ञानम्
22	जैनदर्शन	वेद कर्मकाण्ड पौरोहित्य	वेद कर्मकाण्ड पौरोहित्य	

शास्त्री प्रतिष्ठा प्रथम सत्रार्द्ध में उपलब्ध स्थान एवं विषय विवरण

प्रवेशार्थ स्थान	DSCC	DSE	GE	AECC 1
11	व्याकरण	व्याकरण	राजनीति विज्ञान	संस्कृत-भाषा-दक्षता
11	साहित्य	साहित्य	अंग्रेजी साहित्य,	**AECC 2**
			ज्योतिष, व्याकरण,	अंग्रेजी-भाषा-दक्षता
			दर्शन, हिन्दी साहित्य,	**AEEC 1**

			इतिहास, वेद कर्मकाण्ड पौरोहित्य	सङ्गणक-विज्ञानम्

आचार्य प्रथम सत्रार्द्ध में उपलब्ध स्थान एवं विषय विवरण

प्रवेशार्थ स्थान	**DSCC**
44	साहित्य
22	ज्योतिष
22	व्याकरण
11	जैनदर्शन

शिक्षाशास्त्री प्रथम सत्रार्द्ध में उपलब्ध स्थान

प्रवेशार्थ स्थान - 110

आई.ई.टी.पी. (ITEP) प्रथम सत्रार्द्ध में उपलब्ध स्थान

प्रवेशार्थ स्थान - 50

शिक्षाचार्य प्रथम सत्रार्द्ध में उपलब्ध स्थान

प्रवेशार्थ स्थान - 50

उपर्युक्त सारणी में ध्यातव्य है कि छात्र द्वारा DSCC वर्ग में विषय चयनित विषय को छोड़कर ही DSC वर्ग का विषय चयन करना अनिवार्य है।

परिसर में उपलब्ध संसाधन	**अन्य शैक्षणिक गतिविधियाँ**
1. मुख्य भवन 2. संगोष्ठी कक्ष 3. सभागार 4. भवभूति प्रेक्षागार 5. भरत रंगमण्डप 6. नाट्यशास्त्र केन्द्र 7. स्मार्ट क्लास रूम 8. व्यायामशाला 9. पुस्तकालय 10. पुरुष छात्रावास 11. महिला छात्रावास 12. अधिकारी एव कर्मचारी आवास 13. सुदामा अतिथि आवास	1. राष्ट्री – वार्षिकपत्रिका 2. शास्त्रमीमांसा - शोधपत्रिका 3. भोजराजपञ्चाङ्ग 4. विभागीयपत्रिका 1. व्याकरणमीमांसा 2. साहित्यमीमांसा 3. ज्योतिषमीमांसा 4. शैक्षिकप्रबन्धनस्य विविधायामाः 5. जैनदर्शनमीमांसा 6. मीमांसीका 7. राष्ट्रीय सेवा योजना

नासिक परिसर,

ताकेकर शिक्षा संकुल, गरवारे स्टॉप, बाफना वेयरहाउस के पास, सैय्यद पिंपरी, नासिक, महाराष्ट्र – 422003

Web : www.csu-mumbai.edu.in,

Email : director-mumbai[at]csu[dot]co[dot]in, **Phone :** 022- 21025452

परिसर निदेशक - प्रो. नीलाभ तिवारी **सहनिदेशक - प्रो. रामचन्द्र जोएसा एच**

परिचयः-

भगवान श्रीरामचन्द्र के चरणस्पर्श से पुनीत और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की छत्रछाया में स्थित नासिक नगर को वेद, आयुर्वेद और ज्योतिष जैसे विषयों में ज्ञानपरम्परा की समृद्ध विरासत प्राप्त हुई है। गोदावरी का उद्गम स्थल यह क्षेत्र सांस्कृतिक, शैक्षिक और सामाजिक दृष्टिकोण से अनुकूल है । नासिक शहर में भारतीय ज्ञान परम्पराओं और आधुनिक संकायों का समन्वय करते हुए केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के नासिक परिसर का आरम्भ दिनांक 31.07.2024 को माननीय कुलगुरु महोदय के निर्देशन में किया गया । इससे पूर्व यह परिसर के.जे. सोमैया विश्वविद्यालय, मुंबई में 2002 से संचालित रहा है।

इस परिसर में शास्त्र/विज्ञान/गणित के साथ प्राक्शास्त्री पाठ्यक्रम (11वीं, 12वीं के समकक्ष), चतुर्वर्षीय स्नातक (ऑनर्स) एवं एम.ए., आचार्य, विद्यावारिधि एवं शिक्षाशास्त्री पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। नासिक परिसर में हिंदू अध्ययन में एम.ए और संस्कृत ऑनर्स एवं सिविल सर्विसेज में बी.ए जैसे आधुनिक पाठ्यक्रमों तथा वेद, साहित्य, व्याकरण और ज्योतिष जैसे पारंपरिक पाठ्यक्रमों का समन्वय किया गया है । राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार किए गए इन पाठ्यक्रमों के माध्यम से नासिक परिसर शिक्षा नीति के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है । यह परिसर अंतरविषयक अध्ययन, शोध में नवाचार, समग्र विकास, पारंपरिक विषयों के संरक्षण और अनुसंधान जैसे उद्देश्यों के साथ नई पीढ़ी को शिक्षित और प्रशिक्षित कर रहा है ।

प्राक्शास्त्री प्रथम सत्रार्द्ध में उपलब्ध स्थान

प्रवेशार्थ स्थान - 11

शास्त्री प्रथम सत्रार्द्ध में उपलब्ध स्थान एवं विषय विवरण

प्रवेशार्थ स्थान	DSCC	DSE	GE	AECC 1
11	साहित्य	साहित्य	हिन्दी साहित्य	संस्कृत-भाषा-दक्षता
22	व्याकरण	व्याकरण	अंग्रेजी साहित्य, मराठी	अंग्रेजी-भाषा-दक्षता
22	ज्योतिष	ज्योतिष	साहित्य, राजनीति विज्ञान	**AEEC 1**
				सङ्गणक-विज्ञानम्

बी.ए. संस्कृत ऑनर्स एवं सिविल सर्विसेज

प्रवेशार्थ स्थान – 55

आचार्य प्रथम सत्रार्द्ध में उपलब्ध स्थान एवं विषय विवरण

प्रवेशार्थ स्थान	DSCC
11	साहित्य
11	व्याकरण
11	ज्योतिष

शिक्षाशास्त्री प्रथम सत्रार्द्ध में उपलब्ध स्थान

प्रवेशार्थ स्थान - 55

उपर्युक्त सारणी में ध्यातव्य है कि छात्र द्वारा DSCC वर्ग में विषय चयनित विषय को छोड़कर ही DSC वर्ग का विषय चयन करना अनिवार्य है।

परिसर में उपलब्ध संसाधन	**अन्य शैक्षणिक गतिविधियाँ**	
1. कार्यालय - सुरुचि भवन	1. विद्यारश्मिः - शोध पत्रिका	2. विद्याश्रीः
2. पुस्तकालय	3. वाग्वैब्रह्म	4. काव्यलतिका
3. शैक्षणिक भवन	5. शिक्षारश्मिः	6. ज्योतिषरश्मिः
4. क्रीडाङ्गण	7. वैभाषिकी	7. राष्ट्रीय सेवा योजना

एकलव्य परिसर

अगरतला, अगरतला, जिला- पश्चिम त्रिपुरा, राज्य- त्रिपुरा- 799210

Web : www.csu-agartala.edu.in,

Email : director-agartala[at]csu[dot]co[dot]in, **Phone :** 0381-2907855

परिसर निदेशक - प्रो. मखलेश कुमार **सहनिदेशक - प्रो. बी. पी. एम.**

केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय पूरे भारत में इसके कुल 13 परिसर हैं। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, एकलव्य परिसर, अगरतला, इस विश्वविद्यालय के 13 परिसरों में से एक है। यह लेम्बुचेरा, त्रिपुरा में स्थित है। यह प्राध्यापक, शास्त्री, शिक्षा शास्त्र, आचार्य और विद्या वारिधि जैसे शैक्षणिक कार्यक्रम प्रदान करता है। इस परिसर में सात (07) विभाग शामिल हैं जो इस प्रकार हैं –

- i) साहित्य विद्याशाखा
- ii) व्याकरण विद्याशाखा
- iii) धर्मशास्त्र विद्याशाखा
- iv) ज्योतिष विद्याशाखा
- v) अद्वैत वेदांत विद्याशाखा
- vi) बौद्ध दर्शन विद्याशाखा
- vii) शिक्षा शास्त्र विद्याशाखा (बी.एड)

उपर्युक्त सभी विद्याशाखाएं विशेषज्ञता के क्षेत्रों के रूप में संबंधित विषयों में प्राक्शास्त्री, शास्त्री, आचार्य और विद्यावारिधि स्तर पर पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं, जबकि शिक्षा शास्त्र विभाग शिक्षण में एक पेशेवर पाठ्यक्रम के रूप में शिक्षा शास्त्री (बी.एड) प्रदान करता है। आगामी सत्र से ITEP पाठ्यक्रम शुरू होने की योजना भी है।

प्राक्शास्त्री प्रथम सत्रार्द्ध में उपलब्ध स्थान

प्रवेशार्थ स्थान – 92

शास्त्री प्रतिष्ठा प्रथम सत्रार्द्ध में उपलब्ध स्थान एवं विषय विवरण

प्रवेशार्थ स्थान	DSCC	DSC	GE	AECC 1
11	साहित्य	साहित्य	साहित्य, ज्योतिष,	संस्कृत-भाषा-दक्षता
11	ज्योतिष	ज्योतिष	व्याकरण, वेद	**AECC 2**
22	व्याकरण	व्याकरण	कर्मकाण्ड पौरोहित्य,	अंग्रेजी-भाषा-दक्षता
11	वेद कर्मकाण्ड पौरोहित्य	वेद कर्मकाण्ड पौरोहित्य	बौद्धदर्शन, धर्मशास्त्र, अद्वैतवेदान्त, अंग्रेजी	**AEEC 1**
11	बौद्धदर्शन	बौद्धदर्शन	साहित्य, हिन्दी	सङ्गणक-विज्ञानम्
11	धर्मशास्त्र	धर्मशास्त्र	साहित्य, राजनीति	
11	अद्वैतवेदान्त	अद्वैतवेदान्त	विज्ञान	

आचार्य प्रथम सत्रार्द्ध में उपलब्ध स्थान एवं विषय विवरण

प्रवेशार्थ स्थान	DSCC
11	साहित्य
11	ज्योतिष

11	व्याकरण
11	वेद कर्मकाण्ड पौरोहित्य
11	बौद्धदर्शन
11	धर्मशास्त्र
11	अद्वैतवेदान्त

शिक्षाशास्त्री प्रथम सत्रार्द्ध में उपलब्ध स्थान

प्रवेशार्थ स्थान - 55

उपर्युक्त सारणी में ध्यातव्य है कि छात्र द्वारा DSCC वर्ग में विषय चयनित विषय को छोड़कर ही DSC वर्ग का विषय चयन करना अनिवार्य है।

परिसर में उपलब्ध संसाधन	अन्य शैक्षणिक गतिविधियाँ
1. पुरुष छात्रावास 2. महिला छात्रावास 3. व्यायामशाला 4. जनजातीय अध्ययन केन्द्र 5. प्राध्यापक विकास केन्द्र 6. राष्ट्रीय सेवा योजना	1. एकलव्या - शोधपत्रिका 2. शैक्षिकपत्रिका - शोधपत्रिका

श्रीरघुनाथकीर्ति परिसर,

देवप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड – 249301

Web: www.csu-devprayag.edu.in,

Email: director-devprayag[at]csu[dot]co[dot]in, Ph: 01378-266028

परिसर निदेशक - प्रो. पी.वी.बी. सुब्रह्मण्यम   **सहनिदेशक - प्रो. चन्द्रकला आर. कौन्डी**

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के श्री रघुनाथ कीर्ति परिसर की स्थापना 16 जून, 2016 को देवप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड में की गई थी। परिसर का नाम श्री रघुनाथजी के नाम पर रखा गया है, जिनके नाम से मंदिर का निर्माण पहाड़ों के कत्यूरी राजवंश की शैली में, दो महत्वपूर्ण पौराणिक नदियों, भागीरथी और अलकनंदा के पवित्र संगम के पास किया गया था, जहाँ गंगा नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। यह 9.228 हेक्टेयर (23 एकड़) के क्षेत्र में फैला हुआ है। प्राक्-शास्त्री, शास्त्री, आचार्य और पीएचडी स्तर की विभिन्न कक्षाओं में व्याकरण, साहित्य आदि जैसे विभिन्न विषयों के पारंगत शिक्षकों द्वारा पढ़ाया जा रहा है। हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, कम्प्यूटर विज्ञान और शारीरिक शिक्षा जैसे आधुनिक विषय भी पढ़ाए जा रहे हैं। इसके अलावा, आगामी शैक्षणिक वर्षों में शिक्षाशास्त्री (बी.एड.), मुक्तस्वाध्यायपीठम् (दूरस्थ शिक्षा), योग और आयुर्वेदिक डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू होने वाले हैं। परिसर राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, संगोष्ठियों और विस्तृत व्याख्यानों का भी आयोजन करता है।

प्राक्शास्त्री प्रथम सत्रार्द्ध में उपलब्ध स्थान

प्रवेशार्थ स्थान - 66

शास्त्री प्रथम सत्रार्द्ध में उपलब्ध स्थान

प्रवेशार्थ स्थान	DSCC	DSC	GE	AECC 1
33	साहित्य	साहित्य	हिन्दी साहित्य	संस्कृत-भाषा-दक्षता
22	व्याकरण	व्याकरण	इतिहास	**AECC 2**
22	ज्योतिष	ज्योतिष	अंग्रेजी साहित्य	अंग्रेजी-भाषा-दक्षता
11	वेद कर्मकाण्ड पौरोहित्य	वेद कर्मकाण्ड	सङ्गणक-विज्ञान	**AEEC 1**
11	दर्शन	पौरोहित्य		सङ्गणक-विज्ञानम्
22	**बी.एस.सी. यौगिक विज्ञान**	दर्शन योग		

आचार्य प्रथम सत्रार्द्ध में उपलब्ध स्थान

प्रवेशार्थ स्थान	DSCC
11	साहित्य
11	व्याकरण
11	ज्योतिष
11	दर्शन
11	वेद
11	एस.एस.सी. यौगिक विज्ञान

उपर्युक्त सारणी में ध्यातव्य है कि छात्र द्वारा DSCC वर्ग में विषय चयनित विषय को छोड़कर ही DSC वर्ग का विषय चयन करना अनिवार्य है।

परिसर में उपलब्ध संसाधन	**अन्य शैक्षणिक गतिविधियाँ**
1- पुस्तकालय 2- छात्रावास	• **शास्त्र अध्ययन केन्द्र** • **योग अध्ययन केन्द्र** • **राष्ट्रीय सेवा योजना**